कार्यसूची

दिनांक – 27.02.2026

2026

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, दिनांक 08 फाल्गुन, 1947 (श०)
27 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-17 (सत्रह)

(1)	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	...	...	09
(2)	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	...	...	06
(3)	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	...	...	01
(4)	विधि विभाग	...	...	01
			कुल योग-	17

ऑनलाईन मोनिटरिंग प्रणाली करना ।

*'क'. श्री चन्द्रदेव महतो-क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नही है;

(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद सदर अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का नियमों के विरूद्ध खुले में या सामान्य कचरे के साथ निस्तारण किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रत्येक जिले में सरकारी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने, कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण की ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) Biomedical Waste Management Rule 2016 के अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को Disposal हेतु Common Biomedical Treatment Facility (CBMWTF) को Handover किया जाना है । वर्तमान मे झारखण्ड मे 06 CBMWTF कार्यरत है । Biological Lab Pvt. Ltd. धनबाद एवं रामगढ़ में, Medicare लोहरदगा में, Aditya Waste Management Pvt. Ltd. आदित्यपुर में, Greenland Waste Management Pvt. Ltd. पाकुड़ में एवं Prakriti Waste Management Pvt. Ltd. देवघर मे स्थित है ।

(2) धनबाद सरद अस्पताल द्वारा Biogenetic Lab Pvt. Ltd. धनबाद स्थित CBMWTF से Biomedical Waste Disposal हेतु Agreement किया गया है । शेष सभी अस्पतालों द्वारा CBMWTF द्वारा Disposal हेतु Agreement किया गया है जो संस्थानों से Biomedical Waste, Collect कर अपने CBMWTF में Disposal हेतु Transport करते है ।

(3) Common Biomedical Waste Treatment Facility स्थापित किए जाने हेतु Central Pollution Control Board (CPCB) द्वारा Jharkhamd State Pollution Control Board (JSPCB) को प्राधिकृत किया गया है, JSPCB ही Proposal स्वीकृत करते है एवं CBMWTF को संचालन हेतु Consent to Operate (CTO) देती है, तथा Biomedical Waste Management का Monitoring करती है ।

---

*'क' नोटः-आदेश पत्र सं०-21 दिनांक 20 फरवरी, 2026 को सदन द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2026 के लिए स्थगित ।

जाँच कर कार्रवाई करना ।

103. श्री देवेन्द्र कुँवर-क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि Santhal Pargana Teancy Act 1911(1949) को धारा-20 को Sovereignty (स्वंय प्रभुता) को चुनौती नहीं दी जा सकती है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित धारा के तहत संथाल परगना क्षेत्र में TRIBE, PRIMITIVE TRIBE & ABROZINALS की Land को बिक्री, दान, बंधक, पथ विनियम या किसी भी प्रकार से हस्तांतरित/ आन्तरिक NO-NTRIBES/ NON ABROZINALS को नहीं किया जा सकता है जब तक की सक्षम पदाधिकारी (Deputy Commissioner) को पूर्वानुमति न ले ली जाए;

(3) क्या यह बात सही है कि इस विषय को लगातार उल्लंघन के कारण बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ हुआ है और Santhal Pargana की TRIBAL & ABROZINALS LAND पर व्यापक रूप से कब्जा हुआ है जो अभी भी जारी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Santhal Pargana Tenancy Act of Section-20 की उल्लंघन पर संज्ञान लेने तथा अवैध कब्जा एवं Derail हुई Demography की उच्च स्तरीय जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अंचल अधिकारियों का पदस्थापन ।

104. श्री राजेश कच्छप-क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 49 अंचलों में अंचलाधिकारी का पद रिक्त है और 72 Co Rank के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर सरकारी वेतन एवं अन्य सुविधायें ले रहे है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित अंचल अधिकारियों के रहते SDO/SDM Rank के पदाधिकारियों को ही Co के पद पर आसीन रखते हुए नियमों/ व्यवस्थाओं की अनदेखी किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड-2 में वर्णित पदाधिकारियों को हटाते हुए तथा खंड-1 में वर्णित अंचलों में अंचल अधिकारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सकों का पदस्थापन ।

105. श्री राज सिन्हा-क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (SNMMCH) में पीएम केयर फंड से करोड़ों के लागत से वर्ष-2020-2021 में अधिष्ठापित तीन में से दो ऑक्सीजन प्लांट रखरखाव के अभाव तथा कन्ट्रोलर खराब होने के कारण विगत दो वर्षों से बंद पड़े हुए है, विभिन्न वार्डों में फ्लो मीटर के अभाव में मरीजों को ससमय ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तथा इमेरजेंसी वार्ड से लेकर कैथलेब तक के मरीजों को परेशानियाँ हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सहित पूरे राज्य के जिला सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत संरचना स्थापित होने के बावजूद चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी विशेषकर महिला चिकित्सा कर्मी के घोर अभाव के कारण राज्य की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित बंद ऑक्सीजन प्लांट, खराब कन्ट्रोलर तथा फ्लो मीटर द्वारा मरीजों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए राज्यान्तर्गत सभी अस्पतालों में यूनिट के आधार पर चिकित्सकों का पदस्थापन कराकर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पूर्व स्थिति बहाल करना ।

106. श्री राजेश कच्छप-क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अंचलों में Autogenerated Mutation को निष्पादित किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित Autogenerated Mutation के कारण पुराने भू-धारियों की स्वामित्व हेतु Software में पूर्व की व्यवस्था को विलोपित कर दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वणित विलोपन से भू-धारियों/ स्वामियों को पहचान के साथ कई प्रकार के (जैसे-बैंक लोन, शैक्षणिक ऋण, जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट की प्राप्ति आदि) समस्याओं से जुझना पड़ रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की स्थिति बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

ऑनलाईन डिजिटाइजेशन करना ।

107. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता-क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल के अधीन तीन जिलों के कुल 35 अंचलों में अवस्थित सभी ग्रामों का भूमि सर्वेक्षण कार्य अधूरा है;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि संबंधित अभिलेखों का पूर्ण सर्वेक्षण एवं डिजिटाइजेशन नही होने के कारण अक्सर भूमि विवादों के मामले समाने आते रहते है;

(3) क्या यह बात सही है कि भूमि विवाद होने के कारण कई बार कोर्ट-कचहरी एवं विधि व्यवस्था की समस्या अत्पन्न हो जाती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण कराकर सभी भूमि अभिलेखों एवं नक्शों का पूर्ण रूप से ऑनलाईन डिजिटाइजेशन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

योजना लागू कर कार्रवाई करना ।

108. श्री हेमलाल मुर्मू-क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में कई घोषणा की गई है, जिसका लाभ लाभुकों को नही मिल रहा है, जिसके कारण राज्य के गरीब मरीज निजी अस्पतालों में इलाज/जाँच कराने को विवश हो रहे है;

(2) क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में मृत मरीजों के परिजनों को यूपीआई के माध्यम से तत्काल 5000 रुपए की सहायता राशि देने और घर जाने के लिए मुफ्त योजना का लाभ तीन महीने के बाद भी लागू नही हो पायी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी योजनाओं को गरीबों के लिए रिम्स एवं अन्य अस्पतालों में शतप्रितशत लागू करने और ऐसे कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

मशीन का अधिष्ठापन ।

109. श्री अमित कुमार यादव-क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में MRI मशीन तथा कोडरमा, चतरा, रामगढ़ आदि सदर अस्पतालों C.T SCAN मशीन का अधिष्ठापन अब तक नहीं किया गया है, कोडरमा सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक विगत् छः माह से बंद पड़ा है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य परीक्षण कराने में कठिनाई होती है तथा खून की आवश्यकता पड़ने पर हजारीबाग जाना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक, लोकहित में वर्णित मेडिकल कॉलेज एवं सदर अस्पतालों में MRI एवं C.T SCAN मशीन का अधिष्ठापन एवं ब्लड बैंक कोडरमा को अविलंब चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्थान की प्राथमिकता को हटाना ।

110. श्री जयराम कुमार महतो-क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाये जाते है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रमाण-पत्रों के निबंधन में स्थान प्राथमिकता अंचल क्षेत्र निर्धारित है;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थान की प्राथमिकता होने के कारण प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रमाण-पत्रों के निबंधन में क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मनमानी पर रोक लगाना ।

111. श्री नागेन्द्र महतो-क्या मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के विभिन्न विभागों में कामकाज के निपटारे के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवक/युवतियों को भिन्न-भिन्न पदों में नियुक्त किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि आउटसोर्सिंग कंपनी नियुक्ति में मूलवासी/ आदिवासियों की अनदेखी कर कामगारों को नियुक्त करती है, जिसे मानक मानदेय भी समय पर नहीं दिया जाता है, जिससे आउटसोर्सिंग कामगार धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य हो रहे है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्डी मूलवासी/आदिवासी युवक-युवतियों को आउटसोर्सिंग से नहीं, बल्कि संविदा के आधार पर नियुक्त करने, इन्हें पूरा मानदेय दिलाने एवं आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी पर सख्ती बरतने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अनुसंधान केन्द्र खोलना ।

112. श्री जयराम कुमार महतो-क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य स्तरीय जन औषधी अनुसंधान केन्द्र नही है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य वन सम्पदा एवं औषधियों से परिपूर्ण होने के कारण राज्य स्तरीय जन औषधी अनुसंधान केन्द्र की मांग वर्षों से लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डुमरी विधान-सभा अन्तर्गत पारसनाथ की तराई टेसाफुली गांव में राज्य स्तरीय अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

भूमि वापस करना ।

113. श्री भूषण बड़ा-क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन संसाधनों के रक्षार्थ British Regime ने CNTA 1908,SPTA 1911, 1949, KOlhan ACT 1832 तथा Govt. Of India us 5th Schedule, PESA का प्रावधान किया;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित अधिकांश Act संविधान की 9th Schedule में सूचीबद्ध है जिसकी Sovreignty को Challenge कदापि नहीं किया जा सकता है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित अधिनियमों के इतर सामान्य कानूनों जैसे 1894 की LA Act, Coal Bearing Area Act BLRA-1950 Forest Act 1928, MMRDAct-1957 TPA-1882 आदि सामान्य कानूनों का अधिसूचित के साथ प्रभाव में लाये गये जिसके कारण आदिवासी/ मूलवासी समुदाय जल-जंगल जमीन से व्यापक पैमाने पर बेदखल हो गये, जनसंख्या घटने के साथ Demography बिगड़ गई;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जाँच आयोग का गठन करने के साथ TRIBAL &ABROZINAL LANDS अधिग्रहण नही कर Tenants का Share निर्धारित करने तथा सभी स्तर पर भू-वापसी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

मालगुजारी रसीद जारी करना ।

114. श्री प्रदीप प्रसाद-क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित झारखण्ड में गैरमजरूआ जमीन 2 प्रकार की है पहला ''गैरमजरूआ आम'' है जिसकी बिक्री नहीं की जा सकती है तथा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है तथा दूसरा ''गैरमजरूआ खास'' जो जमीनदार/ राजा-रजवाड़े की जमीन हुआ करती थी और जिसका खरीद-बिक्री एवं बंदोबस्ती जमींनदारों के द्वारा निजी रैयतों को की जाती थी, जिसे जमीनदारी उन्मूलन के बाद भी सरकार ने जारी रखा और पूर्व में खरीद-बिक्री/ हुकुमनामा/ बंदोबस्ती जमीनों की निबंधन कार्यालयों द्वारा निबंधन होता था और संबंधित अंचल कार्यालयों द्वारा इसका दाखिल-खारिज करके रैयत को मालगुजारी रसीद को Jharbhoomi.nic.in में ऑनलाईन किया है तब से गैरमजरूआ खास की जमीनों की खरीद-बिक्री निबंधन कार्यालयों द्वारा बंद कर दी गई है और अंचल कार्यालय भी इसका म्यूटेशन नहीं कर रहे है और न ही इस जमीन का लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है और आम रैयत परेशान है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त जमीनों की पूर्व की भांति निबंधन कार्यालयों द्वारा खरीद-बिक्री और अंचल कार्यालयों द्वारा इनका म्यूटेशन कर मालगुजारी रसीद तथा एलपीसी जारी करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आवश्यक कार्रवाई करना ।

115. श्री अरूप चटर्जी-क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिले के RIMS स्थित ट्रॉमा सेंटर में मात्र 45 बिस्तरों की व्यवस्था होने से गंभीर मरीजों को फर्श, स्ट्रेचर या फिर बाहर बरामदे में ही उपचार कराना पड़ता है तथा साथ ही आईसीयू बेडो की कमी के कारण गंभीर मरीजों को रेफर किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 के तहत ट्रॉली, व्हीलचेयर एवं पोर्टेबल वेंटिलेटर जैसी बुनियादी उपकरणों की खरीद में हो रही देरी के साथ महँगी चिकित्सीय मशीनें केवल आवश्यक कंज्यूमेबल्स की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय पड़ी है जिससे भी मरीजों के सटीक उपचार में लगातार परेशानी हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित उपकरणों के साथ-साथ 75 वेंटिलेटरों के क्रय का प्रस्ताव भी विभाग में अबतक लंबित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति निकट है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त वर्णित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कोर्ट फीस वापस लेना ।

116. श्री भूषण बड़ा-क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य हाल ही में Executive Court, Civil Court, High Court और अन्य न्यायालयों में Court Fees, Stamp Value, Suit Value में बेतहाशा (300 फीसदी तक) वृद्धि कर दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि CNT,SPT,Kolhan, PESA आदि अधिनियमों वजह से Tribal Land Restoration, Land Dispute [Title, Partition Suit, Tranfer of Land etc] के मामले बहुत अधिक है और लगातार दायर होती रहती है, ऐसी स्थिति में Court Fees की इतनी भारी भरकम बढ़ोत्तरी से गरीब आदिवासी/मूलवासी काश्तकार मुकदमा लड़ ही नहीं पायेंगे;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित बढ़ोत्तरी के कारण खंड-2 में वर्णित Poor Tribal & Aboriginals अस्तित्व विहीन हो जायेंगे;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विषय की गंभीरता को देखते हुए Fees बढ़ोत्तरी वापस लेने तथा गरीब आदिवासी-मूलवासी पीड़ित को Court Fees के दायरे से बाहर रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

स्वामित्व का अधिकार देना ।

117. श्री नागेन्द्र महतो-क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में किसानों के पूर्वजों द्वारा अथक मेहनत कर जंगल-झाड़ को साफ कर, मिट्टी कोड़कर जोत-आबाद के लायक जमीन का निर्माण किया गया है, जिस जमीन पर कृषि कार्य कर किसान परिवार आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वैसे गैरमजरूवा जमीन का किसानों को बंदोबस्ती प्राप्त है, जिस पर सरकार पूर्व में लगान निर्धारण कर लगान रसीद बंदोबस्त प्राप्त किसानों को देती थी, जिसे वर्त्तमान में बंद कर दिया गया है, जो किसान विरोधी फैसला है, जबकि आज भी वैसे जमीनों पर किसानों का जोत-आबाद बरकरार है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे गैरमजरूवा जमीन का पुनः लगान रसीद किसानों से राजस्व (लगान) लेकर इन्हें स्वामित्व का अधिकार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान ।

118. श्रीमती निसात आलम-क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एन०एच०-133ए पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ के चौड़ीकरण के लिए मौजा श्रीकुण्ड एवं कोटाल पोखर में रैयतों का भू-अर्जन किया गया है, जिसमें 40 रैयत को मुआवजा राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एन०एच०-133ए पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ के चौड़ीकरण के लिए मौजा श्रीकुण्ड एवं कोटालपोखर के रैयतों का भू-अर्जन का उचित मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँची:
दिनांक:- 27 फरवरी, 2026 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 67--250--25-02-2026

सत्यमेव जयते

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, दिनांक 08 फाल्गुन, 1947 (श०)
27 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-31 (एकतीस)

(1)	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	...	...	15
(2)	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	...	...	11
(3)	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	...	...	01
(4)	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	...	...	03
(5)	विधि विभाग	...	...	01
			कुल योग-	31

दोषियों पर कार्रवाई करना ।

*325. डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत सतबरवा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-धावाडीह निवासी सुमंती देवी एवं उनके सहयात्रियों को सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण दिनांक 3 फरवरी, 2026 को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि घायल सुमंती देवी एवं अन्य से सरकारी अस्पताल के परिसर में मनिपाल हैल्थ मैप के द्वारा जाँच के लिए निजी दर से भुगतान प्राप्त किया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि मनिपाल हैल्थ मैप की राशि बकाया रहने एवं सेवा अवधि समाप्त होने के नाम पर खण्ड-1 में वर्णित अस्पताल में भर्ती मरीजों से निजी दर पर जाँच के भुगतान लिया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी अस्पताल परिसर में मरीजों से निजी दर पर भुगतान प्राप्त करने के दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

मुआवजा देना एवं चिकित्सा कराना ।

*326. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित पाँच (5) बच्चों को एच०आई०बी० संक्रमित खून चढ़ाने से एच०आई०बी० संक्रमित हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित घटनाक्रमों के बाद सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा प्रदान करने की बात कही गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये की मुआवजा एवं समुचित चिकित्सा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति ।

*327. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद मेडिकल कॉलेज में 167 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चार वर्षों से करोड़ों की मशीने प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के अभाव में बेकार पड़ी हुई है, जिसमें 82 करोड़ रुपये भवन निर्माण तथा शेष राशि अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों पर खर्च हुए थे;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित उपकरणों में एम०आर०आई०, सी०टी० सकैन, हार्ट-लंग मशीन, एंडोस्कोपी, एक्स-रे, कैथलेब और डायलिसिस जैसी महंगी व हाईटेक मशीने रखरखाव के अभाव में खराब होती जा रही है तथा मरीजों को वर्णित उपकरणों से जाँच के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता है;

(3) क्या यह बात सही है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा विगत चार वर्षों से चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति व पदस्थापन की मांग की जा रही है और रोजाना सैकड़ों मरीज चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद मेडिकल कॉलेज में खण्ड-2 में वर्णित अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति/पदस्थापन कराते हुए स्थानीय आमजन को चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

राजस्व ग्राम घोषित करना ।

*328. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड के ग्राम-विजयपुर, पण्डरा, गुटुवा, हेनार, लाटु, कुजरूम एवं बरवाडीह प्रखण्ड के रमनदाग मेराल में हजारों की संख्या में जिला प्रशासन द्वारा सन् 1980 से पूर्व बसाया गया है एवं इन्हें कृषि एवं रहने योग्य भूमि प्रदान कर बन्दोबस्ती की गई है जिसके आधार पर वर्णित ग्रामों के लोगों की भूमि का रसीद वर्ष-2016 तक काटी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित ग्रामों को अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है जबकि बिहार सरकार द्वारा सन् 1987 में इसे राजस्व ग्राम घोषित करने का आदेश पारित किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित सभी ग्रामों के निवासियों के भूमि का राजस्व रसीद नहीं काटे जाने एवं राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये जाने के कारण इन्हें किसी भी तरह के सरकारी लाभ से वंचित रखा गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सभी ग्रामों के निवासियों के भूमि का रसीद काटने, राजस्व ग्राम घोषित करने एवं सरकारी लाभ मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाना ।

*329. श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला समेत पुरे राज्य में अवैध तरीके से बाजार-हाटों में, चौक-चौराहों के आस पास, मुख्य मार्गों के किनारे छोटे घरों वाले होटलों में या झोपड़ी नुमा होटलों में जहरीली रासायनिक पदार्थों से मिला कर देशी तरीकों से निर्मित नशीली पेय पदार्थ खुलेआम अवैध तरीके से बिक रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि नियमित एवं अत्यधिक नशा सेवन शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान और दुर्घटनाओं के कारण अत्यधिक मृत्यु दर के साथ कई सामाजिक बुराई और अपराध बढ़ने के कारण परिवार समाज एवं राज्य पर दुष्परिणाम प्रभाव पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जहरीली रासायनिक पदार्थों को मिला कर बने देशी तरीके से निर्मित अवैध नशीले पेय पदार्थों के अवैध निर्माण एवं बिक्री को सरकार बन्द कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

चिकित्सक एवं उपकरण उपलब्ध कराना ।

*330. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के बानो प्रखण्ड में स्थित बानो CHC में एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रा-साउण्ड मशीन नहीं होने से 65 किलोमीटर दूरी तय कर ग्रामीणों को सिमडेगा सदर अस्पताल जाना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खण्ड-1 में सुविधा नहीं होने से गरीब जनता को आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है;

(3) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के बानो प्रखण्ड का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है;

(4) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के बानो CHC में पर्याप्त चिकित्सक नहीं हैं;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधान-सभा क्षेत्र में उपरोक्त विषयों पर सकारात्मक पहल कर बानो CHC में एक्स-रे मशीन, अल्ट्रा-साउण्ड मशीन एवं पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आवास का निर्माण कराना ।

*331. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 7 शिकारीपाड़ा विधान-सभा क्षेत्र जिला दुमका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए परिसर में निवास हेतु आवास का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि परिसर में आवास नहीं रहने के कारण चिकित्सकों एवं कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए परिसर में आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र निर्गत करना ।

*332. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चीक बड़ाईक एवं लोहरा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिनके भूमि संबंधित खतियानों में सिर्फ चीक बड़ाईक या लोहार दर्ज है उन्हें भी रहन सहन, भाषा, संस्कृति एवं खान पान के आधार पर ग्राम सभा के अनुशंसा पर अनुसूचित जनजाति के उपजाति चीक बड़ाईक या लोहरा का प्रमाण-पत्र दिया जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि भूमि संबंधित खतियानों में सिर्फ चीक या बड़ाईक या लोहार दर्ज है, पर वे धर्म परिवर्तित कर हिंदू या ईसाई या अन्य धर्म को मानते हैं वैसे परिवारों के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति के उपजाति चीक बड़ाईक या लोहरा का प्रमाण-पत्र नही दिया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे चीक या बड़ाईक या लोहार जो धर्म परिवर्तित कर हिंदू या ईसाई या अन्य धर्मों को मानते हैं, वैसे परिवार के सदस्यों को खण्ड-2 के तहत जिनके खतियान में चीक बड़ाईक या लोहार दर्ज है, को अनुसूचित जनजाति के उपजाति चीक बड़ाईक या लोहरा का प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सा व्यवस्था बहाल करना ।

*333. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही अनुमण्डल अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर भवन का उदघाटन सितम्बर, 2019 में हुआ था, लेकिन आज तक इसे पूर्ण चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित नही किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बरही अनुमण्डल क्षेत्र से एन०एच०-31 एवं एन०एच०-33 में कई दुर्घटना जोन व स्पॉट रहने के कारण सड़क दुर्घटना होते रहता है एवं दुर्घटना की प्रबल सम्भावना बनी रहती है;

(3) क्या यह बात सही है कि ट्रॉम सेंटर में संसाधन के अभाव में सड़क दुर्घटना में घायलों को सिर्फ प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

लगान रसीद निर्गत करना ।

*334. मो० ताजुद्दीन--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजमहल अंचल के हल्का कर्मचारियों के द्वारा पंजी-II में छेड़छाड़ करने के कारण लगभग 10 वर्षों से सभी मौजों का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि लगान रसीद निर्गत नही होने से आमजन को जमीन का सरकारी खजाना जमा करने एवं खरीद-बिक्री करने तथा प्रमाण-पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमहल अंचल के मौजों का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

सृजित पदों पर नियुक्ति करना ।

*335. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के अधीन संचालित संथाल परगना में एकमात्र फुलों झानों मेडिकल कॉलेज के फैकेल्टी में प्रोफेसरों व असिस्टेंट प्रोफेसरों के 67 प्रतिशत पद खाली है;

(2) क्या यह बात सही है कि फैकेल्टी में कमी के कारण मेडिकल छात्रों के पढ़ाई एवं प्रशिक्षण पर गहरा असर पड़ रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सृजित पदों के अनुरूप प्रोफेसरों व असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली रहने से गरीब मरीजों का सही तरीकों से इलाज नहीं हो पा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेडिकल छात्रों के बेहतर पढ़ाई व प्रशिक्षण एवं मरीजों का बेहतर इलाज हेतु सृजित पदों के अनुरूप प्रोफेसरों व असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना ।

*336. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्राधीन वार्ड संख्या-25 के जे०सी० मल्लिक में सरकारी मल्लिक तालाब (फटिक तालाब) अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित तालाब को भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर तालाब का स्वरूप को खत्म कर रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

अव्यवहित जमीन वापस करना ।

*337. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत सिंदरी में उर्वरक कारखाने के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में एफ०सी०आई० अधिग्रहित जमीन को गैर उत्पादन कार्य हेतु लीज पर बेच रही है एवं स्थानीय विस्थापित व रैयतों को कोई सुविधा नहीं दे रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिंदरी एफ०सी०आई० के लिए अधिग्रहित जमीन में से अव्यवहित जमीन वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्यकाल की जाँच कराना ।

*338. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार विधान-सभा के चन्दवा प्रखण्ड सी०एच०सी० में 2024 से कार्यरत डॉ० मनोज पर गलत व्यवहार एवं गलत इलाज के कारण 2006-2007 में मरीजों के परिजनों ने मुकदमा दायर किया था;

(2) क्या यह बात सही है कि 2024 में पुनः ज्वाइन करने क बाद इनका व्यवहार सह-कर्मियों, मरीजों एवं सिनियर डॉ० के साथ भी सही नहीं कहा जा सकता;

(3) क्या यह बात सही है कि डॉ० मनोज चन्दवा बाजार में अपना एक क्लीनिक चलाते हैं;

(4) क्या यह बात सही है कि डॉ० मनोज अस्पताल परिसर के सरकारी क्वार्टर में रहते हैं पर नियमानुसार उसका मासिक भाड़ा नहीं देते जो आर्थिक भ्रष्टाचार का सबूत है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डॉ० मनोज के कार्यकाल की जाँच कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

लीज नवीकरण करना ।

*339. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के गैर मजरूआ खास एवं खास महल भूमि के लीज नवीकरण/स्थानांतरण संबंधी कार्य विभाग स्तर से नहीं किये जा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद-बिक्री संबंधी निबंधन (Registry) कार्य नहीं होने से तथा लीज नवीकरण/स्थानांतरण नहीं होने से आम जनता को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लाभहित में गैर मजरूआ खास भूमि की खरीद बिक्री एवं खास महल जमीन का लीज नवीकरण/स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मालिकाना हक दिलाना ।

*340. श्री शत्रुघ्न महतो--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों द्वारा परियोजना विस्तार हेतु स्थानीय निवासियों की भूमि अधिग्रहित करती है;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा, नियोजन एवं पुनर्वास का प्रावधान है;

(3) क्या यह बात सही है कि कंपनियों द्वारा पुनर्वासित तो किया जा रहा है पर प्रभावित लोगों को पुनर्वासित स्थल का मालिकाना हक नहीं दिया जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनर्वासित लोगों को उनके भूखण्ड का मालिकाना हक दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

महिला चिकित्सक का पदस्थापन ।

*341. श्रीमती मंजू कुमारी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड देवरी एवं जमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का एक यूनिट स्वीकृत होने के बावजूद एक भी महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं रहने के कारण महिलाओं, गर्भवती माताओं एवं गंभीर रोगियों के इलाज में देरी एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिलाओं एवं गर्भवती माताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुआ एवं देवरी में महिला चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रजिस्ट्री को रद्द कर कार्रवाई करना ।

*342. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के सिमरिया अंचल का मौजा आराआतु हल्का नं०-6 के खाता नं०-19 के प्लॉट नम्बर-102 तथा 128 स्व० बिशुन दुसाध, पिता स्व० धनी दुसाध के नाम पर 1945 से दर्ज है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का ऑनलाईन रसीद वर्तमान में उन्हीं के नाम पर कट रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि अब उक्त जमीन CNT एक्ट के अन्दर है तथा उस जमीन की रजिस्ट्री अन्य के नाम पर नहीं की जा सकती है;

(4) क्या यह बात सही है कि रजिस्ट्री लायक जमीन नहीं होने के बावजूद अवैध तरीके से उक्त जमीन की रजिस्ट्री मोइनउदिन पिता स्व० अब्दुल हलीम वगैरह के नाम पर 3-3 डी० जमीन दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 तथा 3 अगस्त, 2024 को कर दिया गया है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध रजिस्ट्री को समाप्त रकने तथा अवैध रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्यों के एवज में भुगतान कराना ।

*343. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आयुष निदेशालय, झारखण्ड द्वारा 14 अप्रैल से 17 जून, 2023 के बीच मेसर्स Bitsphere Infosystem Pvt. Ltd. एवं Team Zoom Services Pvt. Ltd. को कई कार्यादेश दिये गए, जिनके अनुरूप उन्होंने कार्य समय पर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्य पूरा होने के उपरांत इन्होंने संबंधित विपत्रों को सितम्बर, 2023 में आयुष निदेशालय में जमा कर दिया है और विपत्र भुगतान हेतु अनेकों पत्राचार किया है । इसके बावजूद उन विपत्रों का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि भुगतान हेतु विपत्रों की जाँच के लिए जाँच समितियाँ समय-समय पर गठित हुई, इसके बावजूद विपत्रों का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Bitsphere Infosystem Pvt. Ltd. एवं Team Zoom Services Pvt. Ltd. द्वारा किये गये कार्यों के एवज में भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराना ।

*344. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही अनुमण्डल मुख्यालय में छात्र-छात्राओं को कौशल विकास से रोजगार प्राप्त करने का एक भी पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि बरही अनुमण्डल मुख्यालय में पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को टेक्निकल डिग्री प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरही अनुमण्डल में छात्र-छात्राओं के हित में पोलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोटः-*344-श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक-292, दिनांक 17 फरवरी, 2026 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित ।

दोषियों पर कार्रवाई करना ।

*345. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत मौजा-जोन्हा के खाता संख्या-163, प्लॉट संख्या-1004 किस्म जंगल-झाड़ी का गलत तरीके से निबंधन एवं नामांतरण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक-516, दिनांक 26 फरवरी, 2025 द्वारा सूचित समय-सीमा पूर्ण होने के पश्चात जमाबंदी रद्द करने के संबंध में धीमी प्रक्रिया की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित कार्य हेतु दोषियों पर कार्रवाई एवं खण्ड-2 में वर्णित तथ्य पर शीघ्र कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आई०टी०आई० महाविद्यालय की स्वीकृति देना ।

*346. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिंदरी विधान-सभा क्षेत्र के सिंदरी तथा बलियापुर प्रखण्ड में एक भी सरकारी आई०टी०आई० महाविद्यालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंदरी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी आई०टी०आई० महाविद्यालय के अभाव में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सिंदरी एवं बलियापुर में सरकारी आई०टी०आई० महाविद्यालय की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सक एवं कर्मियों का पदस्थापन ।

*347. श्रीमती सबिता महतो--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरायकेला जिले का ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र तिरूलडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहाँ विगत कई वर्षों से कर्मियों के स्वीकृत 9 पदों के विरूद्ध आज तक मात्र 3 कर्मी ही कार्यरत एवं पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत कई वर्षों से रिक्त 6 पदों में से 2 मेडिकल ऑफिसर, 1 फार्मासिस्ट, 1 लिपिक, 1 लैब-टैकनीशियन और 1 आदेशपाल के पद है तथा वर्तमान में उक्त प्रा०स्वा०केन्द्र में एक भी चिकित्सक नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रा०स्वा० केन्द्र में चिकित्सक एवं कर्मियों की कमी के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में तिरूलडीह प्रा०स्वा० केन्द्र में चिकित्सक एवं महिला चिकित्सक के साथ-साथ कर्मियों के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बकाया राशि का भुगतान करना ।

*348. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोविड-19 अवधि के दौरान धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में चिकित्सा पदाधिकारियों के आदेशानुसार संवेदकों के माध्यम से अति-महत्वपूर्ण सामग्री एवं सेवा के आपूर्ति पीड़ित मरीजों के सेवार्थ के लिए लिया गया था, जिसका भुगतान राशि अभी तक लंबित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित महामारी के दौरान आपूर्ति कर रहे संवेदकों का बकाया राशि भुगतान नही होने के कारण उनका आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है तथा जीवन यापन करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में कोविड-19 के दौरान सामग्री एवं सेवा के आपूर्ति कर रहे संवेदकों का बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सकारात्मक कदम उठाना ।

*349. श्री देवेन्द्र कुवंर--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जरमुन्डी विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत सोनाराम ढाड़ी प्रखण्ड से 30 किलोमीटर की दूरी पर करोड़ों रुपये की लागत से बना विशाल स्वास्थ्य केन्द्र बेकार पड़ी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में आधाभूत संरचना संचालन के अभाव में जर्जरावस्था की ओर जा रही है और विभाग उदासीन बनी हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन स्वास्थ्य लाभ के मद्देनजर सकारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ।

*350. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर बेरोजगार युवक/युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से युवक/युवतियों को सिलाई, ब्यूटीशियन, होटल मैनेजमेंट, नर्स आदि का प्रशिक्षण देकर रोजगार की दिशा में प्रयास किया जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित जिले के नगर ऊँटारी अनुमण्डल मुख्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक भी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित योजना के तहत नगर ऊँटारी अनुमण्डल मुख्यालय में प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर क्षेत्र के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उलब्ध करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कब्जा मुक्त कराना ।

*351. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत थाना नम्बर-79 गैरमजरूवा जमीन खाता नम्बर-48 प्लॉट नम्बर-238 रकबा-2.14 (दो एकड़ चौदह डी०) जमीन मड़ईपूजा ग्राम देवता पूजा स्थल चिन्हित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर श्री मंगल लोहरा पिता स्व० विराज लोहरा द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का मकान का निर्माण कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन के कब्जा मुक्त करते हुए जमीन पूजा स्थल हेतु ग्रामीणों को सुपूर्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुरक्षा कर्मियों को रोजगार देना ।

*352. श्री सुरेश कुमार बैठा--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि काँके के C.I.P में 156 सुरक्षाकर्मी पिछले 15-20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत थे;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी कर्मियों को 1 फरवरी, 2026 से एक साधारण नोटिस देकर नौकरी से हटा दिया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 156 सुरक्षा कर्मियों को रोजगार देना सुनिश्चित करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भूमि एवं मकान का मुआवजा देना ।

*353. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के ईचाक खुर्द में शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन परियोजना हेतु लगभग 55 किसानों की 35 एकड़ गैरमजरूआ खास (प्रति कदीम) भूमि का अधिग्रहण बिना मुआवजा किए कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों के विरोध के उपरांत सिमरिया अंचल द्वारा 22 नवम्बर, 2022 को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया, सभी किसानों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद 55 अभिलेख खोले गए;

(3) क्या यह बात सही है कि इसी रेल परियोजना के अन्तर्गत हांडू गाँव में बंदबस्त एवं मुदान भूमि पर निवासरत लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि ईचाक खुर्द के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है;

(4) क्या यह बात सही है कि सिमरिया अंचल द्वारा पत्रांक-681, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के माध्यम से 55 अभिलेख रैयती मान्यता हेतु सिमरिया अनुमण्डल को भेजे गए, जिसमें से मात्र 14 मामलों में उपायुक्त द्वारा पत्रांक-72, दिनांक 15 जनवरी, 2025 के माध्यम से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से मार्गदर्शन मांगा गया तथा विभाग द्वारा 19 सितम्बर, 2025 को पूर्ववर्ती आदेश के आलोक में निस्तारण का निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को शीघ्र रैयती मान्यता प्रदान कर भूमि एवं मकान का मुआवजा देने हेतु समयबद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना ।

*354. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र के प्रखण्ड कटकमदाग और दारू में स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है और यहाँ के लोगों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि कटकमदाग प्रखण्ड और दारू में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में कटकमदाग और दारू प्रखण्ड में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मुकदमों की संख्या में कमी करना ।

*355. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मियों एवं सरकारी अधिवक्ताओं के कार्यनिष्पादन में कमी एवं अकुशलता आदि कारणों से न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुकदमों की संख्या में कमी करने और दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) यथा उपर्युक्त कंडिका । विदित हो कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी गठित की गयी है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग के स्तर से नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ नियमित बैठक की जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर इन्पॉवर्ड कमिटि गठित की गयी है । साथ ही Alternate Dispute Redressal (ADR) के माध्यम से भी विवादों के निपटारे का प्रयास किया जाता है ।

रॉंची:
दिनांक 27 फरवरी, 2026 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची ।

झा०रा०मु० रॉंची (एल०ए०) 65--250--25-02-2026 ।

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा

[पंचम(बजट)सत्र]

शुक्रवार, तिथि 27 फरवरी, 2026 (ई०)

08 फाल्गुन,1947 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय–11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक–कार्य

–: प्रश्नोत्तर :–

(01) सभा के गत–सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02) अल्प–सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

–:ध्यानाकर्षण–सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:–

(04) श्री प्रकाश राम, स०वि०स० एवं श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण –सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 एवं 26-02-2026 से स्थगित)

(05) श्री देवेन्द्र कुँवर,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण –सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 एवं 26-02-2026 से स्थगित)

(06) श्री उमाकान्त रजक, स०वि०स० एवं श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण –सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 एवं 26-02-2026 से स्थगित)

(07) श्री राम सूर्या मुण्डा, स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 एवं 26-02-2026 से स्थगित)

(08) श्री जयराम कुमार महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 एवं 26-02-2026 से स्थगित)

(09) श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स०,श्री मनोज कुमार यादव,स०वि०स० एवं डॉ० नीरा यादव स०वि०स० की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–26-02-2026 से स्थगित)

कृ०पृ०30.....02

(10) **श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक–26-02-2026 से स्थगित)

(11) **श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक–26-02-2026 से स्थगित)

(12) **सर्वश्री अनन्त प्रताप देव, हेमलाल मुर्मू एवं श्री रामचन्द्र सिंह,स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–26-02-2026 से स्थगित)

(13) **श्रीमती ममता देवी, स०वि०स० एवं श्रीमती लुईस मराण्डी स०वि०स०**की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–26-02-2026 से स्थगित)

(14) **सर्वश्री कुमार उज्जवल, प्रकाश राम एवं श्री नागेन्द्र महतो,स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(15) **श्री भूषण तिर्की स०वि०स०**की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(16) **श्री राज सिन्हा स०वि०स०**की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(17) **श्री हेमलाल मुर्मू स०वि०स०**की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(18) **श्रीमती ममता देवी, स०वि०स०,श्री अमित कुमार ,स०वि०स० एवं श्री राजेश कच्छप स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(19) झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य–संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(20) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा–पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(21) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

कृ०पृ०उ०.....03

-: <u>वित्तीय-कार्य</u> :-

(22) वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक आय-व्ययक के सम्मिलित अनुदानों की माँगों (खण्ड-02) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान।

(माँग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

(23) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य०का०सू०-01/2026-.५५९२../वि०स०, राँची, दिनांक-.26.02.26

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2026

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य०का०सू०-01/2026-.५५९२./वि०स०, राँची, दिनांक-.26.02.26

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य०का०सू०-01/2026-.५५९२./वि०स०, राँची, दिनांक-..26.02.26

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

26/02/26

झारखण्ड विधान-सभा
جھارکھنڈ قانون سازاسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی
{پانچواں (بجٹ) اجلاس}

جمعہ، مورخہ: 27/فروری، 2026 (عیسوی)
08/پھاگن، 1947 (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00/بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01۔ ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02۔ مختصر میعادی و علامتی سوال اور ان کے جواب۔

03۔ وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اور ان پر سرکاری بیان

04۔ جناب پرکاش رام اور جناب ناگیندر مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔
[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

05۔ جناب دیویندر کنور، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔
[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

06۔ جناب اوما کانت راجک اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔
[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

07۔ جناب رام سوریہ منڈا اور جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ جنگلات ماحولیات اور تبدیل آب وہوا) کی جانب سے بیان۔
[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

08۔ جناب جئے رام کمار مہتو۔ رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

झारखण्ड विधान-सभा
جھارکھنڈ قانون سازاسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی
{پانچواں (بجٹ) اجلاس}

جمعہ، مورخہ: 27/فروری، 2026 (عیسوی)
08/پھاگن، 1947 (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00/بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01۔ ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02۔ مختصر میعادی وعلامتی سوال اوران کے جواب۔

03۔ وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اوران پر سرکاری بیان

04۔ جناب پرکاش رام اور جناب ناگیندر مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اوراس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

05۔ جناب دیوندر کنور، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اوراس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

06۔ جناب اوما کانت راجک اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اوراس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

07۔ جناب رام سوریہ منڈا اور جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اوراس پر سرکار (محکمہ جنگلات ماحولیات اور تبدیل آب وہوا) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری، 2026 اور 26/فروری، 2026 سے ملتوی]

08۔ جناب جئے رام کمار مہتو۔رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اوراس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

[مورخہ۔25رفروری،2026اور26رفروری،2026سے ملتوی]

09۔ جناب امیت کمار یادو، جناب منوج کمار یادو اور ڈاکٹر نیرا یادو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی فراہمی اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔26رفروری،2026سے ملتوی]

10۔ جناب متھورا پرساد مہتو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی وسائل اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔26رفروری،2026سے ملتوی]

11۔ جناب نوین جیسوال، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ شہری ترقیات اور رہائش) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔26رفروری،2026سے ملتوی]

12۔ جناب آننت پرتاپ دیو، جناب ہیم لال مرمو اور جناب رام چندر سنگھ، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی فراہمی اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔26رفروری،2026سے ملتوی]

13۔ محترمہ ممتا دیو اور محترمہ لوئیس مرانڈی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی وسائل اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔26رفروری،2026سے ملتوی]

14۔ جناب کمار اوجول، جناب پرکاش رام اور جناب ناگیندر مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ داخلہ، جیل اور منتظمہ آفات) کی جانب سے بیان۔

15۔ جناب بھوشن ترکی، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ داخلہ، جیل اور منتظمہ آفات) کی جانب سے بیان۔

16۔ جناب راج سنہا، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

17۔ جناب ہیم لال مرمو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل، اقلیتی اور پسماندہ طبقہ فلاح) کی جانب سے بیان۔

18۔ محترمہ ممتا دیوی، جناب امیت کمار اور جناب راجیش کچھپ، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

کمیٹیوں کی تشکیل

19۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ، طریقہ کار اور دستور العمل کے تناظر میں کمیٹیوں کی تشکیل (اگر ہو)۔

ایوان کے میز پر رپورٹوں کا رکھا جانا

20۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کی رپورٹوں کو ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)

21۔ عرضیوں کی پیشی (اگر ہو)۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

مالیاتی امور

22۔ مالی سال 27-2026 کے سالانہ آمد وخرچ میں شامل مطالبات زر جز و(02) محکمہ دیہی ترقیات، محکمہ دیہی امور، محکمہ پنچایتی راج، پر بحث ومباحثہ، سرکار کا جواب اور ووٹنگ۔

(مطالبات اور تخفیف تجویزوں کی فہرست الگ سے تقسیم کی جارہی ہے)

23۔ دیگر نہایت ضروری امور (اگر ہو)۔

(رنجیت کمار)
کارگزار سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01 / 2026 / 4492 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ:........ رفروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: معزز اراکین حضرات، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی/معزز وزیراعلیٰ/معزز وزراء حضرات/معزز اپوزیشن لیڈر، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی/چیف سکریٹری، جھارکھنڈ/عزت مآب گورنر کے پرنسپل سکریٹری/ایڈوکیٹ جنرل، جھارکھنڈ، رانچی/لوک سبھا نئی دہلی/راجیہ سبھا نئی دہلی/جھارکھنڈ سرکار کے تمام محکموں کے پرنسپل سکریٹری/سکریٹری کو اطلاعات اور ضروری کارروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

(سید شیراز وجیہ مجتبیٰ)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01 / 2026 / 4492 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ:........ رفروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: انڈر سکریٹری، اسپیکر دفتر اور ماہر معتمد، سکریٹری دفتر کو بالترتیب عزت مآب اسپیکر صاحب اور کارگزار سکریٹری کو اطلاعات مرسلہ۔

(سید شیراز وجیہ مجتبیٰ)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01 / 2026 / 4492 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ:........ رفروری، 2026 (عیسوی)

اردو ترجمہ: جاری کردہ "شعبہ اردو" جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

نقل تحریر: جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے تمام افسران/شعبہ ویب سائٹ/شعبہ لائبریری، شعبہ تعلقات عامہ اور جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ٹی وی کو اطلاعات اور ضروری کارروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

(سید شیراز وجیہ مجتبیٰ)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 08 फाल्गुन,1947 (श0) ..... को 27 फरवरी, 2026 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
*क (उ0मु0)	अ0सू0–03	श्री चन्द्रदेव महतो	ऑनलाईन मोनिटरिंग प्रणाली करना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	15.02.2026
103.	अ0सू0–37	श्री देवेन्द्र कुँवर	जाँच कर कार्रवाई करना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	17.02.2026
104.	अ0सू0–22	श्री राजेश कच्छप	अंचल अधिकारियों का पदस्थापन	रा0नि0एवं भूमि सुधार	14.02.2026
105.	अ0सू0–34	श्री राज सिन्हा	चिकित्सकों का पदस्थापन	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	16.02.2026
106.	अ0सू0–24	श्री राजेश कच्छप	पूर्व स्थिति बहाल करना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	14.02.2026
107.	अ0सू0–23	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	ऑनलाईन डिजिटाइजेशन करना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	14.02.2026
108.	अ0सू0–06	श्री हेमलाल मुर्मू	योजना लागू कर कार्रवाई करना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	10.02.2026
109.	अ0सू0–35	श्री अमित कुमार यादव	मशीन का अधिष्ठापन	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	16.02.2026
110.	अ0सू0–40	श्री जयराम कुमार महतो	स्थान की प्राथमिकता को हटाना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	19.02.2026
111.	अ0सू0–10	श्री नागेन्द्र महतो	मनमानी पर रोक लगाना	श्रम नि0प्र0एवं कौ0 वि0	11.02.2026

01	02	03	04	05	06
112.	अ0सू0-33	श्री जयराम कुमार महतो	अनुसंधान केन्द्र खोलना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	16.02.2026
113.	अ0सू0-38	श्री भूषण बड़ा	भूमि वापस करना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	19.02.2026
114.	अ0सू0-28	श्री प्रदीप प्रसाद	मालगुजारी रसीद जारी करना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	14.02.2026
115.	अ0सू0-13	श्री अरूप चटर्जी	आवश्यक कार्रवाई करना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0	11.02.2026
116.	अ0सू0-39	श्री भूषण बड़ा	कोर्ट फीस वापस लेना	विधि	19.02.2026
117.	अ0सू0-09	श्री नागेन्द्र महतो	स्वामित्व का अधिकार देना	रा0नि0एवं भूमि सुधार	11.02.2026
118.	अ0सू0-43	श्रीमती निसात आलम	मुआवजा का भुगतान	रा0नि0एवं भूमि सुधार	21.02.2026

*नोट-'क' आदेश पत्र सं0-21, अ0सू0-03, दिनांक-20.02.2026 को सदन द्वारा दिनांक-27.02.2026 के लिए स्थगित

राँची,
दिनांक-27 फरवरी, 2026 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-झा0वि0स0-प्रश्न-11/2025-.....4392...../वि0स0, राँची, दिनांक-..24.02.26...

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रीगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-प्रश्न-11/2025-..4392...../वि0स0, राँची, दिनांक-..24.02.26

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.26
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-प्रश्न-11/2025-....4392...../वि0स0, राँची, दिनांक-..24.02.26.

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.26
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
24/02/26

श्री देवेन्द्र कुँवर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–37 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री देवेन्द्र कुँवर, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि Santhal Pargana Tenancy Act. 1911(1949) को धारा–20 को Sovereignty (स्वंय प्रभुता) को चुनौती नहीं दी जा सकती है ;	स्वीकारात्मक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध अवैध भूमि हस्तांतरण की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा–42 के तहत अवैध दखलकार को अंतरित भूमि से बेदखल करते हुए मूल रैयत को भूमि वापसी हेतु प्रावधान वर्णित है। संथाल परगना के अंतर्गत संबंधित सभी जिलों द्वारा उपरोक्त वर्णित धाराओं का अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित धारा के तहत संथाल परगाना क्षेत्र में TRIBE, PRIMITIVE TRIBE & ABROZINALS की Land को बिक्री, दान, बंधक, पथ्य विनियम या किसी भी प्रकार से हस्तांतरित/अन्तरित NON-TRIBES/ NON ABROZINALS को नहीं किया जा सकता है, जब तक की सक्षम पदाधिकारी (Deputy Commissioner) को पूर्वानुमति न ले ली जाए ;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	क्या यह बात भी सही है कि इस विषय को लगातार उल्लंघन के कारण बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ हुआ है और Santhal Pargana की TRIBAL & ABROZINALS LAND पर व्यापक रूप से कब्जा हुआ है जो अभी भी जारी है ;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Santhal Pargana Tenancy Act. of Section-20 की उल्लघंन पर संज्ञान लेने तथा अवैध कब्जा एवं Derail हुई Demography की उच्च स्तरीय जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/विधानसभा (अ०सू०)–18/2026...477.../रा0, दिनांक–26-02-2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–4208/वि0स0, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/26
सरकार के उप सचिव।

D:\Hema\Local Disk G\Santosh Sir\Vidhansabha ques. answ.docx.3.docx

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–22 की उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 49 अंचलों में अंचलाधिकारी का पद रिक्त है और 72 Co Rank के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर सरकारी वेतन एवं अन्य सुविधायें ले रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के (CO Rank) मूल कोटि के 02 पदाधिकारी पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत है। तदापि आवश्यकतानुसार इनके पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अंचल अधिकारियों के रहते SDO/SDM Rank के पदाधिकारियों को ही Co के पद पर आसीन रखते हुए नियमों/व्यवस्थाओं की अनदेखी किया जा रहा है;	प्रोन्नति के उपरांत सभी प्रोन्नत पदाधिकारियों को उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किया गया है। सम्प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के 42 पदाधिकारी अंचल अधिकारी के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित है। मूल कोटि के पदों पर पदाधिकारियों की कमी के कारण कार्यहित में उत्क्रमित पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है। तदापि आवश्यकतानुसार इनके पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित पदाधिकारियों को हटाते हुए तथा खंड– 1 में वर्णित अंचलों में अंचल अधिकारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार सचेष्ट है। सम्प्रति झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत पदाधिकारियों की पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 209 परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता प्रशिक्षणरत है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मूल कोटि यथा अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी के पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2/विधानसभा–08–02/2026 का॰ 1066/ राँची, दिनांक 20 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 3997 वि.स. दिनांक 14.02.2026 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/26

(प्रदीप कुमार पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 2/विधानसभा–08–02/2026 का॰ 1066/ राँची, दिनांक 20 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– श्री अमर कुमार, संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को सदन से पूछे जाने वाला अल्प –सूचित प्रश्न संख्या स०–34 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (SNMMCH) में पीएम केयर फंड से करोड़ों के लागत से वर्ष 2020–21 में अधिष्ठापित तीन में से दो ऑक्सीजन प्लांट रखरखाव के अभाव तथा कन्ट्रोलर खराब होने के कारण विगत दो वर्षों से बंद पड़े हुए है, विभिन्न वार्डों में फ्लो मीटर के अभाव में मरीजों को ससमय ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तथा इमेरजेंसी वार्ड से लेकर कैथलेब तक के मरीजों को परेशानियाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, धनबाद में तीन में से एक 600 LMP (PM Care द्वारा प्रदत्त) ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, जिससे अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार मरीजों को ऑक्सीजन सिलेन्डर द्वारा भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। DMFT Fund मद से एक PSA Plant का AMC/CMC समाप्त हो चुका है, जो सिविल सर्जन, धनबाद के अधीन था। उसकी मरम्मति संबंधी कार्रवाई हेतु सिविल सर्जन, धनबाद के पत्रांक–442 दिनांक– 20.02.2026 द्वारा उपविकास आयुक्त, धनबाद से अनुरोध किया गया है। 1000 LMP (PM Care द्वारा प्रदत्त) एक प्लांट की मरम्मति के लिए कई बार टेंडर प्रक्रिया की गई है परन्तु टेंडर प्रक्रिया में किसी के भी शामिल नहीं होने के कारण मरम्मति नहीं हो पायी है। मरम्मति हेतु शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, धनबाद द्वारा पुनः टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। फ्लो मीटर खराब होने पर समय समय पर उन्हें बदल दिया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि, धनबाद जिला सहित पूरे राज्य के जिला सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा उप–स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत संरचना स्थापित होने के बावजूद चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी विशेषकर महिला चिकित्सा कर्मी के घोर अभाव के कारण राज्य की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है ;	अस्वीकारात्मक। धनबाद सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सदर अस्पताल में प्रयाप्त मात्रा में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी पदस्थापित है। साथ ही, अनुबंध एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवाएँ लेते हुए मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित बंद ऑक्सीजन प्लांट, खराब कन्ट्रोलर तथा फ्लो मीटर द्वारा मरीजों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए राज्यन्तर्गत सभी अस्पतालों में यूनिट के आधार पर चिकित्सकों का पदस्थापन कराकर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती हैय हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

129(9)
26/02/2026

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09 / विधायी / 06–08 / 2026 1291(9) राँची, दिनांक:– 26/02/2026

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–4123 वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/26

अवर सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–24 का प्रश्नोत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अंचलों में Autogenerated Mutation को निष्पादित किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। भूमि के निबंधन के पश्चात् दाखिल–खारिज हेतु क्रेता/रैयत को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन न देना पड़े, इसके लिए दिनांक–01.12.2022 से Suo-moto Mutation प्रक्रिया को पूरे राज्य में लागू किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निबंधन पोर्टल (NGDRS) से निबंधित सेल डीड Real time basis पर दाखिल खारिज हेतु झारभूमि पोर्टल अंतर्गत अंचलाधिकारी के Login में प्रेषित होता है। दाखिल–खारिज के फर्जीवाड़ा, दोहराव (Duplicacy) एवं अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से झारभूमि पोर्टल अंतर्गत Online Mutation आवेदन प्रक्रिया में दिनांक–01.12.2025 से Validation लागू किया गया है। इस Validation को पुराने भू–धारियों की स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने हेतु मात्र Sale Deed के लिए प्रभावी किया गया है। Validation लगाने के फलस्वरूप निबंधित Sale Deed के Data को निबंधन पोर्टल से मिलान होने के उपरांत ही Mutation का Application Process होता है। सभी प्रकार के निबंधित डीड के विरुद्ध ऑनलाईन दाखिल–खारिज आवेदन आवेदन Suo-moto Mutation के अलावा प्राप्त हो रहे हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित Autogenerated Mutation के कारण पुराने भू–धारियों की स्वामित्व हेतु Software में पूर्व की व्यवस्था को विलोपित कर दिया गया है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–2 में वर्णित विलोपन से भू–धारियों/स्वामियों को पहचान के साथ कई प्रकार के (जैसे– बैंक लोन, शैक्षणिक ऋण, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट की प्राप्ति आदि) समस्याओं से जुझना पड़ रहा है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व की स्थिति बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कृ०पृ०उ०

Desktop/Prem Sir/QA (Amen)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक-01/निदे०अभि०, वि०स० (अ०सू०)-14/2026.....124../नि०रां०   राँची, दिनांक- 26-02-2026

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०-3996/वि०स०, दिनांक-14.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा-12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/26

अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0	**माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल के अधीन तीन जिलों के कुल 35 अंचलों में अवस्थित सभी ग्रामों का भूमि सर्वेक्षण कार्य अधूरा है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** पलामू प्रमण्डल अन्तर्गत जिला–पलामू, गढ़वा एवं लातेहार, अंचल–25 (वर्तमान में 49 अंचल) का कुल अधिसूचित ग्रामों की संख्या–3,573 है । अधिसूचित ग्रामों में सर्वे के चरणबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । जिसमें 2,118 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है तथा 1,914 ग्रामों का गजट अधिसूचना निर्गत है । शेष ग्रामों में विभिन्न चरणों में सर्वे कार्य प्रगति पर है । **लातेहार जिला का पूर्ण रूप से सर्वे कार्य पूर्व में सम्पन्न हो चुका है।** विभागीय अधिसूचना सं0–438/नि०रा०, राँची, दिनांक–31.10.2019 द्वारा लातेहार जिला के 07 अंचल का पुनः भू–सर्वेक्षण (Re-Survey) हेतु अधिसूचित है।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि संबंधित अभिलेखों का पूर्ण सर्वेक्षण एवं डिजिटाईजेशन नहीं होने के कारण अक्सर भूमि विवादों के मामले सामने आते रहते है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** सर्वे का कार्य एक चरणबद्ध प्रक्रिया है तथा पलामू प्रमण्डल के अधीन सभी जिलों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण हेतु पुरानी पद्धति एवं नियमों में डिजिटाईजेशन का प्रावधान निरूपित नहीं था। आधुनिक पद्धति से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही शत् प्रतिशत डिजिटाईजेशन संभव हो सकेगा। पुरानी तकनीक से सर्वे कराना काफी श्रम साध्य एवं समय साध्य है। सरकार द्वारा कम समय एवं कम व्यय में सर्वेक्षण कर अभिलेखों/मानचित्रों का अद्यतीकरण कर डिजिटाईज्ड ऑनलाईन भू–अभिलेख का संधारण एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से भूमि विवादों का समाधान, भूमि संबंधी प्रत्येक सेवा का ऑनलाईन संधारण एवं परिचालन इत्यादि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पुरानी पद्धति के स्थान पर आधुनिक प्रौद्योगिकी (Modern Technology) का प्रयोग करते हुए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी (Modern Technology) को झारखण्ड राज्य में अपनाने (Adoption) संबंधी, अध्ययन हेतु केरल एवं कर्नाटक राज्य में आधुनिक तकनीक से चल रहे सर्वे कार्य का प्रक्रिया एवं प्रावधान से संबंधित सभी Methodologies and Implementation Mechanisms Adopted आदि जानकारी/अध्ययन कर लिया गया है। अध्ययन के उपरांत आधुनिक तकनीकी प्रक्रिया एवं प्रावधानों को अपनाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। निर्णय विचाराधीन है।

3	क्या यह बात सही है कि भूमि विवाद होने के कारण कई बार कोर्ट–कचहरी एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है;	अस्वीकारात्मक ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण कराकर सभी भूमि अभिलेखों एवं नक्शों का पूर्ण रूप से ऑनलाईन डिजिटाईजेशन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02 / भू0अ0प0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–01 / 2026...165.../ नि0रा0, राँची, दिनांक–25.02.2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3998 / वि0स0, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/26
सरकार के उप सचिव।

श्री हेमलाल मुर्मू, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछ जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में कई घोषणा की गई है, जिसका लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण राज्य के गरीब मरीज निजी अस्पतालों में ईलाज/जाँच कराने को विवश हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में मृत मरीजों के परिजनों को यूपीआई के माध्यम से तत्काल 5000 रूपए की सहायता राशि देने और घर जाने के लिए मुफ्त योजना का लाभ तीन महीने के बाद भी लागू नहीं हो पायी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स शासी परिषद् की 62वीं0 बैठक दिनांक-09.10.2025 की कंडिका-23 में निर्णय लिया गया है कि रिम्स में ईलाज के क्रम में मृतक के परिजनों को मृत पार्थिव शरीर के अंत्येष्टि कार्य हेतु On spot UPI के माध्यम से रू0 5,000/- (पाँच हजार) की राशि भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। वित्त विभाग के पत्रांक-2721/वि0 दिनांक-15.09.2016 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किसी सरकारी कार्यालय में बैंक खाता खोलने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। तद्नुसार बैंक खाता खोलने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से अनुमोदन के उपरांत मृत मरीजों के परिजनों को यूपीआई के माध्यम से तत्काल 5000 रूपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी योजनाओं को गरीबों के लिए रिम्स एवं अन्य अस्पतालों में शतप्रतिशत लागू करने और ऐसे कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स(वि0स0)-05-02/2026 42 (11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 18.02.2026

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-3587/वि0स0 दिनांक-10.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.26

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–35 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में MRI मशीन तथा कोडरमा, चतरा, रामगढ़ आदि सदर अस्पतालों में C.T SCAN मशीन का अधिष्ठापन अब तक नहीं किया गया है, कोडरमा सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक विगत् छः माह से बंद पड़ा है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य परीक्षण कराने में कठिनाई होती है तथा खून की आवश्यकता पड़ने पर हजारीबाग जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक, लोकहित में वर्णित मेडिकल कॉलेज एवं सदर अस्पतालों में MRI एवं C.T SCAN मशीन का अधिष्ठापन एवं ब्लड बैंक कोडरमा को अविलंब चालू कराना चाहती है; हाँ तो कब तक नही तो क्यो?	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल, हजारीबाग में MRI एवं CT Scan मशीन अधिष्ठापित करने हेतु झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची कुल 4,93,11,200/– रूपये उपलब्ध कराई गई है, जिसके क्रय हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में सदर अस्पताल, कोडरमा में पी०पी०पी० मोड पर CT Scan अधिष्ठापित किया गया है। साथ ही, सदर अस्पताल कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ जिलों में सी०टी० स्कैन मशीन अधिष्ठापन प्रस्तावित है। वर्तमान में सदर अस्पताल कोडरमा में रक्त भंडारण केन्द्र संचालित है। कोडरमा जिला में तिथि निर्धारण कर कैम्प में ब्लड क्लेकशन कर जाँच हेतु रक्त अधिकोष, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग भेजा जाता है। रक्त अधिकोष, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग से समय–समय पर ब्लड यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लड बैंक के संचालन के लिए आवश्यक 2000 Sq ft जगह उपलब्ध हो गया है एवं ब्लड बैंक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी०वि०स० (अ०–सू०)–12/2026 103(5) स्वा०, राँची, दिनांक 26-02-2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–4121/वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.26

सरकार के अवर सचिव

श्री जयराम कुमार महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्याः–अ०सू०–40 से संबंधित उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं;	स्वीकरात्मक। राज्य में जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रमाण पत्रों के निबंधन में स्थान प्राथमिकता अंचल क्षेत्र निर्धारित है;	किसी भी जन्म–मृत्यु की घटना का निबंधन उसी क्षेत्र में किया जाता है, जिस क्षेत्र (निबंधन इकाई) में घटना घटित होती है। निर्गत प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य है। राज्य में जन्म–मृत्यु का निबंधन भारत सरकार द्वारा निर्मित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) तथा झारखण्ड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, नियमावली, 2009 (2024 में संशोधित) के आलोक में किया जाता है। निबंधन भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित पोर्टल–dc.crsorgi.gov.in पर ऑनलाईन किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि स्थान की प्राथमिकता होने के कारण प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	तथैव
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रमाण पत्रों के निबंधन में क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	लागू नहीं

(अनिल सिंह लकड़ा)
अपर सचिव।

ज्ञापांक– यो0वि0(विधान सभा) अ०सू०–01/26 130 मु /राँची, दिनांक 25/2/26

प्रतिलिपिः– 1. अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक– 4241 दिनांक– 19.02.2026 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक– 449 दिनांक 24.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
25/2/26

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

(31 मई, 1969)

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --

(1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएँ और निर्वचन --

(1) इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "जन्म" से जीवित –जन्म या मृत–जन्म अभिप्रेत है

ख) "मृत्यु" से जीवित जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है।

ग) "भ्रूण मृत्यु" से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है;

घ) "जीवित–जन्म" से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात श्वांस लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित–जन्म समझा जाता है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 'राज्य सरकार' से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(छ) "मृत–जन्म" से ऐसे भ्रूण–मृत्यु अभिप्रेत है जहां गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चुका है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण - स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार --

(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझें, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिये वह उन्हें समय–समय पर प्राधिकृत करें, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिये, नियुक्त कर सकेगी।

(3) महारजिस्ट्रार उन राज्य क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिये कदम उठाएगा और उक्त राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

4. मुख्य रजिस्ट्रार --

(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य के लिये एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझें, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिये वह उन्हें समय–समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिये, नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गये नियमों और किये गये आदेशों के निष्पादन के लिये मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा।

(4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिये समुचित अनुदेश निकाल कर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी रीति से और ऐसे अंतरालों पर, जिन्हें विहित किया जाए, धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण खंड --

(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खण्डों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खण्डों के लिये विभिन्न नियम विहित कर सकेगी।

6. जिला रजिस्ट्रार --

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिये एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझें और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिये जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करें।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर निकाले गये आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिये उत्तरदायी होगा।

7. रजिस्ट्रार--

(1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिये या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या इनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिये एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गयी इत्तिला, फीस या इनाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होनेवाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिये पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिये अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिये भी कदम उठाएगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दें, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिये वह नियुक्त हो, उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे।

(5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकेगा।

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

8. **जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये अपेक्षित व्यक्ति** --(1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूपों में प्रविष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं, —

(क) खण्ड (ख) से (ड़) तक में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियाँ निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थिति न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्क पुरुष;

(ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर;

(घ) किसी चावड़ी, छत, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला, बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक व्यक्ति;

(ड़) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गये किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामीणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर :

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामीणी या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा

(च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिये, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।

9. **बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबन्ध** -- किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा 8 में निर्दिष्ट इत्तिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा :

परन्तु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विशिष्टियां देंगे।

स्पष्टीकरण --इस धारा में "बागान" पद से चार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, काली मिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, उपजाने के लिये तैयार की जा रही है या जिसमें ऐसी वस्तुतः होती है तथा "बागान का अधीक्षक" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे वह प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए

10. **जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर**

(1) (i) जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक के

(ii) शवों के व्ययन के लिये अलग कर दिये गये किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमें उसने परिचर्या की हो वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे विहित किया जाए।

(2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी की मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।

(3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए वहां उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा–व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल कोई चिकित्सा–व्यवसायी कोई फीस लिये बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिये अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देते समय रजिस्ट्रार को पदत्त करेगा।

11. **इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना** --प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इत्तिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गये रजिस्ट्रार में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्टर में अपने नाम, वर्णन और निवास स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ–चिन्ह लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी।

12. **इत्तिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना** --जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी।

13. **जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण** -

(1) जिस जन्म या मृत्यु की इत्तिला तदर्थ विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब – फीस, जो विहित की जाए, दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इत्तिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस दिये

जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के पेश किये जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गयी हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश पर और विहित फीस दिये जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिये, विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरूद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण -जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक बालक के नाम के संबंध में इत्तिला, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को विहित कालावधि के भीतर देगा और तब रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रविष्टि को आद्यक्षरित करेगा और उस पर तारीख डालेगा।

जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना -यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गये रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्ररूपतः या सारतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गयी है तो वह ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों की बाबत जिन पर और ऐसी परिस्थितियों की बाबत जिनमें ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकेगा, बनाए जाएं, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किये बिना पार्श्व में यथोचित प्रविष्टि करके उस प्रविष्टि की गलती को ठीक कर सकेगा या उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पार्श्व–प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसमें ठीक या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा।

अध्याय 4

अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

विहित प्ररूप में रजिस्टरों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना –

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूपों और अनुदेशों के अनुसार, जो समय–समय पर विहित किये जाएं, जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियां करने के लिये पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवाएगा और प्रदाय कराएगा; तथा ऐसे प्ररूपों की स्थानीय भाषा में एक प्रति प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाह्य द्वार पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जाएगी।

जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी -(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत फीस और डाक–महसूल के संदाय से संबद्ध नियम भी है, कोई व्यक्ति—

(क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा ; तथा

(ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा; परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु से संबंधी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा।

(2) इस धारा के अधीन दिये गये सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के लिये राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो , प्रमाणित किये जाएंगे और उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध हो साबित करने के प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।

18. **रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण** -रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गये रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रीति से, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे जिला रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करें, किया जाएगा।

19. **कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना-**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार , मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में , जो विहित किये जाएं उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर की जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों के बारे में एक विवरणी भेजेगा।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों द्वारा विवरणियों में दी गई इत्तिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सांख्यिकीय रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जाएं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

20. **भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध** -

(1) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जन्म और मृत्यु विषयक ऐसी इत्तिला रजिस्ट्रीकृत कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन बनाए गये और भारतीय कौंसल कार्यालयों में ऐसे नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी नियमों के अधीन प्राप्त हो और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकरण भी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में किया गया समझा जाएगा।

(2) भारत से बाहर जन्मे ऐसे बालक की दशा में, जिसकी बाबत उपधारा (1) में यथा उपबंधित इत्तिला प्राप्त न हुई हो, यदि बालक के माता–पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आए तो वे बालक के भारत पहुँचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय, बालक का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे मानो बालक का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपबंध ऐसे बालक के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् लागू होंगे।

21. **जन्म या मृत्यु के संबंध में इत्तिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति** - रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इत्तिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगा।

22. **निदेश देने की शक्ति** -केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

23. **शास्तियां** --

(1) कोई व्यक्ति जो —

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है; अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास–स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ–चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई चिकित्सा–व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाणपत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिये इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वह जुर्माने से जो दस रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा।

24. **अपराधों के प्रशमन की शक्ति** -

(1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर पचास रूपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि दे देने पर वह व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25. **अभियोजन के लिये मंजूरी** - इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित

किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

26. **रजिस्ट्रारों और उप-रजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना** - सभी रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार, ज वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करते तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

27. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** - राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (जो धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न हो) ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी।

28. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिये परित्राण** --

(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के, महारजिस्ट्रार के, किसी रजिस्ट्रार के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन कर रहा हो, विरूद्ध न होगी।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात से हुए या होने से संभाव्य किसी नुकसान के लिये सरकार के विरूद्ध नहीं होगी।

29. **इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अल्पीकरण में न होना** -- इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के उपबंधों के अल्पीकरण में है।

30. **नियम बनाने की शक्ति** --

(1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिये उपबंध कर सकेंगे —

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों के प्ररूप;

(ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रार को धारा 8 के अधीन इत्तिला दी जानी चाहिए;

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जन्म और मृत्यु की सूचना दी जाएगी;

(घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा;

(ङ) वे विशिष्टियां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा;

(छ) धारा 13 के अधीन किये गये रजिस्ट्रीकरण के लिये संदेय फीसें;

(ज) धारा 4 के उपधारा (4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना;

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की तलाशी और ऐसी तलाशी के लिये तथा रजिस्टरों में से उद्धरण दिये जाने के लिये फीसें;

(ञ) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तराल जिन पर विवरणियां और सांख्यिकी रिपोर्ट धारा 19 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएगी;

(ट) रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना और अन्तरण;

(ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में गलतियों को ठीक करना और उनकी प्रविष्टियों को रद्द करना;

(ड) कोई अन्य विशेष जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

31. निरसन और व्यावृत्ति --

(1) धारा 29 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उतना अंश, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन ऐसे की गयी समझी जाएगी मानों वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्रवाई की गयी थी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए।

32. कठिनाई दूर करने की शक्ति –यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०– अ०सू०–10 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरकार के विभिन्न विभागों में कामकाज के निपटारे के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवक/युवतियों को भिन्न–भिन्न पदों में नियुक्त किया जाता है?	**स्वीकारात्मक।** आउटसोर्स पर कर्मियों की सेवा लिए जाने के लिए सेवा शर्त, मानदेय निर्धारण, संस्था चयन प्रक्रिया इत्यादि हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1278/वि० दिनांक 03.06.2025 के द्वारा Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 का गठन किया गया है। उक्त Manual की कंडिका–17.4.2 के अनुसार जिला नियोजनालय के माध्यम से पैनलीकृत एजेंसी द्वारा सरकारी कार्यालयों को आउटसोर्स के आधार पर सेवा उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही कंडिका–4.3 एवं कंडिका– 4.4 में कर्मियों की सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति, अनारक्षित श्रेणी में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने एवं झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 का अनिवार्य रूप से अनुपालन किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित Man-month Rate के अनुसार आउटसोर्स पर कार्यरत मानव बल को ससमय भुगतान किया जाना है। इस संबंध में Grievance Cell पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा का प्रावधान Manual की कंडिका–14 एवं 15 में की गई है, जिसके अनुसार दोषसिद्ध होने पर संबंधित एजेंसी के विरूद्ध JAP-IT के द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। अतः आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत कर्मी को संविदा पर नियुक्त करना समीचीन नहीं होगा।
2. क्या यह बात सही है कि आउटसोर्सिंग कंपनी नियुक्ति में मूलवासी/आदिवासियों की अनदेखी कर कामगारों को नियुक्त करती है, जिसे मानक मानदेय भी समय पर नहीं दिया जाता है, जिससे आउटसोर्सिंग कामगार धरना–प्रदर्शन के लिए बाध्य हो रहे हैं?	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्डी मूलवासी/आदिवासी युवक–युवतियों को आउटसोर्सिंग से नहीं, बल्कि संविदा के आधार पर नियुक्त करने, इन्हें पूरा मानदेय दिलाने एवं आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी पर सख्ती बरतने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञापांक : 08/विधि को. (7)– 07/2026......687/वि० रॉंची/दिनांकः 26/02/2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक 3657 दिनांक 11.02.2026 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2026

(विजय नारायण)
अवर सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

श्री जयराम कुमार महतो, म0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि, राज्य में राज्य स्तरीय जन औषधी अनुसंधान केन्द्र नहीं है;	स्वीकारात्मक।
(ख)	क्या यह बात सही है कि राज्य वन सम्पदा एवं औषधियों से परिपूर्ण होने के कारण राज्य स्तरीय जन औषधीय अनुसंधान केन्द्र की मांग वर्षों से लंबित है;	राज्य सरकार के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डुमरी विधानसभा अंतर्गत पारसनाथ की तराई टेसाफुली गांव में राज्य स्तरीय अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नही तो क्यों	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:–16/औषधि (विधान सभा)–07–04/2026 34(16) स्वा/राँची, दिनांक– 26.2.2026
प्रतिलिपि:–अदर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–4122/वि0 सं0 दिनांक–16.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

26.02.26
सरकार के उप सचिव

श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री भूषण बड़ा, मा0स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन संसाधनों के रक्षार्थ British Regime ने CNTA 1908, SPTA 1911, 1949, Kolhan Act, 1832 तथा Govt. Of India ने 5th Schedule, PESA का प्रावधान किया;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित अधिकांश Act संविधान की 9th Schedule में सूचीबद्ध है जिसकी Sovreignty को Challenge कदापि नहीं किया जा सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कोई कानून, संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का यदि उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (I.R. Coelho Case Vs State of Tamilnadu 2007) में इसका उल्लेख है।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित अधिनियमों के इतर सामान्य कानूनों जैसे 1894 की LA Act, Coal Bearing Area Act BLRA-1950, Forest Act, 1928, MMRD Act-1957 TPA-1882 आदि सामान्य कानूनों का अधिसूचित के साथ प्रभाव में लाये गये जिसके कारण आदिवासी/मूलवासी समुदाय जल– जंगल जमीन के व्यापक पैमाने पर वेदखल हो गये, जनसंख्या घटने के साथ Demography बिगड़ गई;	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2015 के प्रावधानुसार विकास एवं जनहित परियोजनाओं के लिए ही भूमि अधिग्रहण किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा–31 के तहत् अधिग्रहण के प्रभावित परिवारों को मुआवजा के साथ–साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) के अधिनिर्णय का प्रावधान है, जिसमें प्रभावित परिवारों को मिलने वाले सभी लाभों का उल्लेख है। RFCTLARR Act, 2013 की धारा–41 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की भूमि, संस्कृति, आजीविका एवं सामाजिक पहचान की रक्षा करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि विकास परियोजनाओं के कारण उन्हें अन्यायपूर्ण विस्थापन न झेलना पड़े। RFCTLARR Act, 2013 की धारा–41 में वर्णित प्रावधान निम्न है :– • अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाता है। पहले सभी वैकल्पिक उपायों की जाँच की जाती है। • अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा/पंचायत की पूर्ण सहमति अनिवार्य है। • ST परिवारों को भूमि के बदले नगद मुआवजा के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि भी प्रदान किया जाता है तथा यथा संभव उसी जिले में पुनर्वासित किया जाता है ताकि उनकी

		सामाजिक और सांस्कृति पहचान बनी रहे। जिला से बाहर पुनर्वासित किये जाने पर 50,000.00 रूपये एक मुश्त नकद एवं 25 प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ भी प्रदान किया जाता है। • वन अधिकार, धार्मिक/सांस्कृतिक स्थलों सामुदायिक संसाधनों और पारंपरिक आजीविका पर विशेष ध्यान दिया जाता है। • ST परिवारों को सामान्य मुआवजा के अतिरिक्त विशेष लाभ दिया जाता है जैसे :– एकमुस्त अतिरिक्त आर्थिक सहायता, आजीविका प्रशिक्षण, समुदायिक सुविधाएँ (स्कूल, सड़क, पेय जल आदि) • परंपरागत आजीविका की सूरक्षा–मछली पकड़ने, वनोपज संग्रह, पशुपालन आदि पारंपरिक आजीविकाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
4	यदि उपार्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जाँच आयोग का गठन करने के साथ TRIBAL & ABROZINAL LANDS अधिग्रहण नहीं कर Tenants का Share निर्धारण करने तथा सभी स्तर पर भू–वापसी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए0/भू0अ0नि0, (वि0स0) अ0सू0 प्रश्न–25/2026 177 /नि0रा0, राँची, दिनांक– 26/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–4240, दिनांक–19.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप प्रसाद माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित झारखण्ड में गैरमजरूआ जमीन 2 प्रकार की है पहला "गैरमजरूआ आम" है जिसकी बिक्री नहीं की जा सकती है तथा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है तथा दूसरा "गैरमजरूआ खास" जो जमींदार/राजा–रजवाड़े की जमीन हुआ करती थी और जिसका खरीद–बिक्री एवं बन्दोबस्ती जमीनदारों के द्वारा निजी रैयतों को की जाती थी, जिसे जमीनदारी उन्मूलन के बाद भी सरकार ने जारी रखा और पूर्व मे खरीद–बिक्री/ हुकुमनामा/ बंदोबस्ती जमीनों की निबंधन कार्यालयों द्वारा निबंधन होता था और संबंधित अंचल कार्यालयों द्वारा इसका दाखिल–खारिज करके रैयत को मालगुजारी रसीद को jharbhoomi.nic.in में ऑनलाईन किया गया है तब से गैरमजरूआ खास की जमीनों की खरीद–बिक्री निबंधन कार्यालयों द्वारा बंद कर दी गई है और अंचल कार्यालय भी इसका म्यूटेशन नहीं कर रहे हैं और न ही इस जमीन का लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया जा रहा है, जिससे करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि हो रही है और आम रैयत परेशान है ;	स्वीकारात्मक। W.P.(C.) No.- 6184/2018 राज राजेश्वर प्रसाद सिंह–बनाम्–राज्य सरकार एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–19.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन क्रम में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं०–1132, दिनांक–26.08.2015 के आलोक में सरकारी भूमि (कैशर–हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के लिए अर्जित/हस्तांतरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि), जिसके संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो, के हस्तांतरण विलम्ब के निबंधन को निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–22-A के अधीन लोक नीति के विरूद्ध घोषित किया गया है। साथ ही यह उल्लेख करना है कि वर्त्तमान में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०– W.P.(C.) No.-75/2025 धीरज कुमार साह–बनाम्–झारखण्ड सरकार एवं अन्य वाद में LPC की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है एवं इसके विरूद्ध सरकार की ओर से दायर LPA माननीय न्यायालय में लंबित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जन हित में तत्काल उक्त जमीनों की पूर्व की भांति निबंधन कार्यालयों द्वारा खरीद–बिक्री और अंचल कार्यालयों द्वारा इनका म्यूटेशन कर मालगुजारी रसीद तथा एलपीसी जारी करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०–585/नि०, दिनांक–10.10.2019 के द्वारा गलत/त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिबंधित सरकारी भूमि की सूची में दर्ज भूमि को प्रतिबंधित सूची से विमुक्त करने हेतु क्रियावली बनाई गई है, जिसके सक्षम प्राधिकार जिला के उपायुक्त हैं। इस विभागीय अधिसूचना के पश्चात् प्रतिबंधित भूमि की सूची से विमुक्त किए गए गैरमजरूआ खास भूमि का निबंधन एवं नामांतरण किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० वि०स० (अ०सू०)–23/2026......468...(5)/रा० राँची, दिनांक–25.02.2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–3990/वि०स०, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.2026

सरकार के उप सचिव

D:\Sec-5\Vidhan Sabha 2026\Vidhan Sabha Alpsuchit.docx (Sweta)

श्री अरूप चटर्जी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के RIMS स्थित ट्रामा सेंटर में मात्र 45 बिस्तरों की व्यवस्था होने से गंभीर मरीजों को फर्श, स्ट्रेचर या फिर बाहर बरामदे में ही उपचार करना पड़ता है तथा साथ ही आई0सी0यू0 बेडो की कमी के कारण गंभीर मरीजों को रेफर किया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। संस्थान के ट्रॉमा सेन्टर में क्रिटिकल केयर एवं सेन्ट्रल इमरजेंसी के कुल 127 बेड क्रियाशील है। विभिन्न अस्पतालों से आये रेफर मरीजों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होने पर, आकस्मिक मरीजों का प्राथमिक उपचार करते हुए संबंधित विभाग में मरीजों को शिफ्ट कर समुचित ईलाज किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 के तहत ट्रॉली, व्हीलचेयर एवं पोर्टबल वेंटिलेटर जैसी बुनियादी उपकरणों की खरीद में हो रही देरी के साथ महँगी चिकित्सीय मशीनों केवल आवश्यक कंज्यूमेबल्स की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय पड़ी है जिससे भी मरीजों के सटीक उपचार में लगातार परेशानी हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। ट्रॉमा सेंटर में संचालित सभी मशीनों में आवश्यक कंज्यूमेबल्स उपलब्ध है तथा उक्त मशीनों के माध्यम से मरीजों का समुचित उपचार किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित उपकरणों के साथ-साथ 75 वेंटिलेटरों के क्रय का प्रस्ताव भी विभाग में अबतक लंबित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति निकट है ;	संस्थान में सभी विभागों से प्राप्त आवश्यकता संबंधी मांग पत्र के आलोक में संस्थान के लिए कुल 100 वेंटिलेटरों के क्रय की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त वर्णित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-11/रिम्स(वि0स0)-05-03/2026 — 43(11) स्वा0/राँची/दिनांक:- 18.02.2026

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-3653/वि0स0 दिनांक-11.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 18.2.26
सरकार के अवर सचिव।

श्री भूषण बड़ा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–39, क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे।

क्र0सं0	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य हाल ही में Executive Court, Civil Court, High Court और अन्य न्यायालयों में Court Fees, Stamp Value, Suit Value में बेतहाशा (300 फीसदी तक) वृद्धि कर दी गयी है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा सभी श्रेणियों में कोर्ट फीस, स्टाम्प शुल्क एवं सूट वैल्यू में 300 प्रतिशत तक बेतहाशा वृद्धि नहीं की गई है। राज्य गठन पूर्व के अधिनियम Court Fees (Bihar Amendment) Act, 1995 को Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया। उक्त संशोधन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर डब्ल्यू०पी० (पी०आई०एल०) संख्या 3764/2022 के आलोक में बढी हुई कोर्ट फीस दर में संशोधन को तर्कसंगत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त सचिव एवं विधि सचिव की सदस्यता में तथा राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता में एक त्रि–सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया।समिति की अनुशंसाओं के आधार पर Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2022 अधिनियमित कर कोर्ट फीस दर को तर्कसंगत किया गया। Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2022 के माध्यम से वर्तमान में Court Fees की प्रभावी दर लगभग 27 वर्षों के अंतराल के पश्चात संशोधित किया गया, जिसमें रुपये के मूल्य में गिरावट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, न्यायपालिका पर राज्य व्यय में वृद्धि तथा कोर्ट फीस से प्राप्त राजस्व में निरंतर गिरावट जैसे तथ्यों को आधार बनाया गया। कम मूल्य के वादों में कोर्ट फीस की दरों को यथासंभव यथावत अथवा सीमित वृद्धि के साथ रखा गया है, जबकि उच्च मूल्य के वादों में स्लैब प्रणाली (Progressive Slab System) के अंतर्गत तर्कसंगत वृद्धि की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में CNT, SPT, Kolhan, PESA आदि अधिनियमों वजह से Tribal Land Restoration, Land Dispute [Title, Partition Suit, Transfer of Land etc] के मामले बहुत अधिक है और लगातार दायर होती रहती है, ऐसी स्थिति में Court Fees की इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी से गरीब आदिवासी/मूलवासी काश्तकार मुकदमा लड ही नहीं पायेंगे;	अस्वीकरात्मक विदित हो कि कम मूल्य के वादों में कोर्ट फीस की दरों को यथासंभव यथावत अथवा सीमित वृद्धि के साथ रखा गया है, फीस की दरों को यथासंभव यथावत अथवा सीमित वृद्धि के साथ रखा गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–2 में वर्णित बढ़ोतरी के कारण खंड–2 में वर्णित Poor Tribal & Aboriginals अस्तित्व विहीन हो जायेंगे;	अस्वीकरात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विषय की गंभीरता को देखते हुए Fees बढ़ोतरी वापस लेने तथा गरीब आदिवासी–मूलवासी पीड़ित को Court Fees के दायरे से बाहर रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कृ०पृ०उ०

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक:– ए0 / विधि / (वि0स0)–03 / 2026 418 / जे0 राँची, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि:– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–4242 / वि0स0, दिनांक– 19.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

25/02/26

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में किसानों के पूर्वजों द्वारा अथक मेहनत कर जंगल–झाड़ को साफ कर, मिट्टी कोड़कर जोत–आबाद के लायक जमीन का निर्माण किया गया है, जिस जमीन पर कृषि कार्य कर किसान परिवार आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार का भरण–पोषण करते आ रहे हैं ;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि वैसे गैरमजरूआ जमीन का किसानों को बंदोबस्ती प्राप्त है, जिस पर सरकार पूर्व में लगान निर्धारण कर लगान रसीद बंदोबस्त प्राप्त किसानों को देती थी, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है, जो किसान विरोधी फैसला है, जबकि आज भी वैसे जमीन पर किसानों का जोत–आबाद बरकरार है।	अस्वीकारात्मक । जहाँ तक लगान रसीद निर्गत नहीं होने का प्रश्न है, अवैध जमाबंदी के अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने से संबंधित विभागीय पत्रांक– 2884/रा०, दिनांक– 10.07.2018 निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे गैरमजरूआ जमीन का पुनः लगान रसीद किसानों से राजस्व (लगान) लेकर इन्हें स्वामित्व का अधिकार देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० वि०स० (अ०सू०)–20/2026 401 (5)/रा० राँची, दिनांक–19-02-2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–3651/वि०स०, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.2026
सरकार के उप सचिव

D:\Sec-5\Vidhan Sabha 2026\Vidhan Sabha Alpsuchit.docx (Sweta)

श्रीमती निसात आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती निसात आलम, मा0स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि एन0एच0–133ए पाकुड़–बरहरवा मुख्य पथ के चौड़ीकरण के लिए मौजा श्रीकुण्ड एवं कोटाल पोखर में रैयतों का भू–अर्जन किया गया है, जिसमें 40 रैयत को मुआवजा राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन0एच0–133ए पाकुड़–बरहरवा मुख्य पथ के चौड़ीकरण के लिए मौजा श्रीकुण्ड एवं कोटालपोखर के रैयतों का भू–अर्जन का उचित मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एन0एच0–133A पाकुड़–बरहरवा मुख्य पथ चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा राशि के भुगतान व्यक्तिगत लोक लेखा खाता में संधारित राशि के कोषागार से निकासी के पश्चात होना है। इस राशि का कोषागार से निकासी हेतु वैधता अवधि (दो वर्ष) समाप्त हो गया है। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम, 334 के अनुसार व्यक्तिगत लोक लेखा खाता में जमा राशि का व्यय दो लगतार वित्तीय वर्ष में नही किये जाने पर पुनर्वैधता की आवश्यकता होती है। इस राशि के निकासी हेतु पुनर्वैधता/अवधि विस्तार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुनर्वैधता आदेश प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर मुआवजा का भुगतान कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए0/भू0अ0नि0. अ0सू0 प्रश्न (वि0स0) पाकुड़ –26/2026. 174 /नि0रा0, राँची, दिनांक 26-02-2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–4330, दिनांक–21.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान– सभा
पंचम् (बजट) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 08 फाल्गुन, 1947 [श0] / 27 फरवरी, 2026 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0– विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01. 02.	03.	04.	05.	06
325– स–27	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	दोषियों पर कार्रवाई करना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	13.02.2026
326– स–11	श्री अरूप चटर्जी	मुआवजा देना एवं चिकित्सा करना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	11.02.2026
327– स–30	श्री राज सिन्हा	प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	16.02.2026
328– रा–13	श्री रामचन्द्र सिंह	राजस्व ग्राम घोषित करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	13.02.2026
329– मद्य–01	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी	अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाना	उ0 एवं मद्य निषेध	16.02.2026
330– स–29	श्री सुदीप गुड़िया	चिकित्सक एवं उपकरण उपलब्ध कराना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	16.02.2026
331– स–32	श्री आलोक कुमार सोरेन	आवास का निर्माण कराना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	16.02.2026
332– रा–22	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी	प्रमाण पत्र निर्गत करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	14.02.2026
333– स–14	श्री मनोज कुमार यादव	चिकित्सा व्यवस्था बहाल करना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	12.02.2026
334– रा–30	मो0 ताजुद्दीन	लगान रसीद निर्गत करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	13.02.2026

01.	02.	03.	04.	05.	06
335—	स—31	श्री आलोक कुमार सोरेन	सृजित पदों पर नियुक्ति करना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	16.02.2026
336—	रा—01	श्री मथुरा प्रसाद महतो	तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	27.01.2026
337—	रा—03	श्री चन्द्रदेव महतो	अव्यवहित जमीन वापस करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	10.02.2026
338—	स—35	श्री प्रकाश राम	कार्यकाल की जाँच कराना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	17.02.2026
339—	रा—34	श्री अमित कुमार यादव	लीज नवीकरण करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	16.02.2026
340—	रा—36	श्री शत्रुघ्न महतो	मालिकाना हक दिलाना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	17.02.2026
341—	स—33	श्रीमती मंजू कुमारी	महिला चिकित्सक का पदस्थापन	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	16.02.2026
342—	रा—21	श्री प्रकाश राम	रजिस्ट्री को रद्द कर कार्रवाई करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	14.02.2026
343—	स—34	श्री सरयू राय	कार्यों के एवज में भुगतान कराना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	16.02.2026
*344—	श्रनि—08	श्री मनोज कुमार यादव	पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराना	श्रम नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	14.02.2026
345—	रा—08	श्री अमित कुमार	दोषियों पर कार्रवाई करना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	10.02.2026
346—	श्रनि—01	श्री चन्द्रदेव महतो	आई0टी0आई0 महाविद्यालय की स्वीकृति देना	श्रम नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	10.02.2026
347—	स—39	श्रीमती सविता महतो	चिकित्सक एवं कर्मियों का पदस्थापन	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	19.02.2026
348—	स—06	श्री मथुरा प्रसाद महतो	बकाया राशि का भुगतान करना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	10.02.2026
349—	स—36	श्री देवेन्द्र कुवंर	सकारात्मक कदम उठाना	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	17.02.2026
350—	श्रनि—06	श्री अनन्त प्रताप देव	प्रशिक्षण केन्द्र खोलना	श्रम नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	13.02.2026
351—	रा—14	श्री अमित कुमार	कब्जा मुक्त कराना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	14.02.2026

कृ0पृ0उ0—

01.	02.	03.	04.	05.	06
352–	स–40	श्री सुरेश कुमार बैठा	सुरक्षा कर्मियों को रोजगार देना	स्वा0 वि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	20.02.2026
353–	रा–26	श्री कुमार उज्जवल	भूमि एवं मकान का मुआवजा देना	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	14.02.2026
354–	स–08	श्री प्रदीप प्रसाद	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना	स्वा0 वि0 शि0 एवं परि0 कल्याण	10.02.2026
355–	विधि–01	श्री हेमलाल मुर्मू	मुकदमों की संख्या में कमी करना	विधि	10.02.2026

नोट :– *344- श्रनि–08–श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक–292, दिनांक–17.02.2026 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक– 27 फरवरी, 2026 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– ज्ञा0वि0स0 प्रश्न– 11/2025–4368/वि0स0, रांची, दिनांक– 22/02/26
प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/ माननीय मंत्रीगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.26
(रामआशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– ज्ञा0वि0स0 प्रश्न– 11/2025–4368/वि0स0, रांची, दिनांक– 22/02/26
प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.26
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– ज्ञा0वि0स0 प्रश्न– 11/2025–4368/वि0स0, रांची, दिनांक– 22/02/26
प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.26
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

विशाल/–

22/02/2026

डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत सतबरवा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–धावाडीह निवासी सुमंती देवी एवं उनके सहयात्रियों को सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण दिनांक–03.02.2026 को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था;	स्वीकारात्मक। दिनांक–03.02.2026 को सतबरवा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–धावाडीह निवासी सुमंती देवी की सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण ईलाज हेतु मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू में भर्ती कराया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि घायल सुमंती देवी एवं अन्य से सरकारी अस्पताल के परिसर में मनिपाल हैल्थ मैप के द्वारा जाँच के लिए निजी दर से भुगतान प्राप्त किया गया;	मणिपाल हेल्थ मैप से MoU के अधीन APL एवं BPL दोनो के लिए Radiology सेवा निर्धारित है। APL से निर्धारित राशि प्राप्त कर सेवा दी जाती है,जबकि BPL को दी जानी वाली सेवा के विरूद्ध संबंधित संस्थान/जिला से भुगतान किया जाता है। मणिपाल हेल्थ मैप द्वारा सुमंती देवी के परिजन से BPL से संबंधित कागजात की अनुपलब्धता के कारण APL की निर्धारित दर पर भुगतान प्राप्त किया गया था, बाद में BPL संबंधित कागजात उपलब्ध कराने के उपरांत संस्थान द्वारा इनके परिजन को राशि लौटायी गयी ।
3.	क्या यह बात सही है कि मनिपाल हैल्थ मैप की राशि बकाया रहने एवं सेवा अवधि समाप्त होने के नाम पर खण्ड–1 में वर्णित अस्पताल में भर्ती मरीजों से निजी दर पर जाँच का भुगतान लिया जा रहा है;	मणिपाल हेल्थ मैप का माह सितम्बर, 2025 तक का बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्त्तमान समय में मणिपाल हेल्थ मैप एवं विभाग का MoU दिनांक–31.03.2026 तक का है। मणिपाल हेल्थ मैप द्वारा MoU के निहित शर्त्तों के अनुसार ही कार्य संपादन किया जा रहा है। मणिपाल हेल्थ मैप के साथ MoU के आधार पर BPL एवं प्रसव हेतु आयी महिला का जाँच निःशुल्क होता है एवं अन्य के जाँच हेतु न्यूनतम दर लिया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी अस्पताल परिसर में मरीजों से निजी दर पर भुगतान प्राप्त करने के दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

128(9)
26/02/2026

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 09/विधायी/06–07/2026 – 128(9) स्वा० राँची, दिनांक– 26/02/2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–3905 वि०स०, दि०–13.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक-27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-स0-11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित पाँच (5) बच्चों को एच0आई0वी0 संक्रमित खून चढ़ाने से एच0आई0वी0 संक्रमित हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को डोनेटेड ब्लड के पैकेट का Rapid Card Test द्वारा सभी प्रकार के पाँच जाँच (H.I.V., V.D.R.L. HBsAg, HCV, MP) करने के पश्चात् Non Reactive पाये जाने पर चढ़ाया गया था। झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राँची के पत्रांक 503 दिनांक 25.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, अबतक प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार रक्त केन्द्र, चाईबासा में HIV +Ve Blood चढ़ाया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित घटनाक्रमों के बाद सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रूपये मुआवजा प्रदान करने की बात कही गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है;	अस्वीकारात्मक। पीड़ित परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार दो-दो लाख रूपये का मुआवजा राशि का भुगतान जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। साथ ही पीड़ित बच्चों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रूपये की मुआवजा एवं समुचित चिकित्सा प्रदान करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपरोक्त खण्डो में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 22/ विधानसभा (तारांकित)-05/2026-32(22) स्वा0 राँची, दिनांक-26-02-2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-3662/वि0स0 राँची, दिनांक-11.02.2026 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2026

(किरण सोरेंग)

सरकार के अवर सचिव।

श्री राज सिन्हा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद मेडिकल कॉलेज में 167 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चार वर्षों से करोड़ों की मशीने प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के अभाव में बेकार पड़ी हुई है, जिसमे 82 करोड़ रूपये भवन निर्माण तथा शेष राशि अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों पर खर्च हुए थे;	धनबाद चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हेतु कई आधुनिक मशीन / उपकरण की आपूर्ति हुई है। भवन निर्माण केन्द्रीय ऐजेंसी CPWD द्वारा किया गया है, जबकि उपकरण/ मशीन की आपूर्ति केन्द्र सरकार की ऐजेंसी HITES द्वारा की गई है। आपूर्ति किये गये कुछ मशीनों/उपकरणों का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित उपकरणों में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, हार्ट–लंग मशीन, एंडोस्कोपी, एक्स–रे, कैथलेब और डायलिसिस जैसी मंहगी व हाईटेक मशीने रखरखाव के अभाव में खराब होती जा रही है, तथा मरीजों को वर्णित उपकरणों से जाँच के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता है;	वर्णित उपकरणों में से CT Scan, MRI, X&Ray, Cathlab Dialysis इत्यादि उपकरण अभी तक अधिष्ठापित नहीं किये गये हैं एवं इनके अधिष्ठापन का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा विगत चार वर्षों से चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति व पदस्थापन की मांग की जा रही है और रोजाना सैकडों मरीज चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते है;	सरकार द्वारा 108 अति–विशेषज्ञ चिकित्सकों का पद सृजित किया गया है, जबकि पारामेडिकल कर्मी / नर्सिंग स्टाफ का पद सृजन प्रक्रियाधीन है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में OPD की सेवा प्रारम्भ कर दी गई है जिसमें Neurosurgery, Urology, Nephrology, Plastic Surgery, Gastro&enterology (Med.), Surgical Oncology एवं Radiation Oncology के अति–विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवा दे रहे है और प्रतिदिन अनेक मरीज को उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद मेडिकल कॉलेज में खण्ड (2) में वर्णित अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकराणों के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति/पदस्थापन कराते हुए स्थानीय आमजन को चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित करने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सहायक प्राध्यापक के 96 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु आधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। पारामेडिकल कर्मी/नर्सिंग स्टाफ के पदों की सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वर्त्तमान में Outsourcing Agency के माध्यम से पारामेडिकल/नर्सिंग स्टाफ इत्यादि पदो पर सेवायें प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

123(9)
25.02.2026

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–10/2026 – 123(9) रवा0 राँची, दिनांक– 25.02.2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–4125 वि0स0, दि०–16.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड के ग्राम– विजयपुर, पण्डरा, गुटुवा, हेनार, लादू, कुजरूम एवं बरवाडीह प्रखण्ड के रंमनदाग, मेराल में हजारों की संख्या में जिला प्रशासन द्वारा सन् 1980 से पूर्व बसाया गया है एवं इन्हें कृषि एवं रहने योग्य भूमि प्रदान कर बन्दोबस्ती की गई है जिसके आधार पर वर्णित ग्रामों के लोगों की भूमि का रसीद वर्ष 2016 तक काटी गई है ;	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक–147, दिनांक–21.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदित है कि इन सभी गांवो को अस्थाई रूप से वन विभाग द्वारा लकड़ी उत्पादन के विभागीय कार्यों के लिए बसाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रभावी होने के उपरांत इस क्षेत्र को पलामू वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरूआत होने के बाद इस क्षेत्र को देश के प्रथम टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके उपरांत इस क्षेत्र में वृक्षों का पातन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गया। लकड़ी के उत्पादन के लिए अस्थाई रूप से बसाये गए ग्रामीणों को उसी समय इनके पूर्व स्थान भेज दिया जाना चाहिए था जो नहीं हो सका है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित ग्रामों को अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है जबकि बिहार सरकार द्वारा सन् 1987 में इसे राजस्व ग्राम घोषित करने का आदेश पारित किया गया है ;	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के उपरांत वन भूमि के किस्म को परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। बिहार सरकार द्वारा सन् 1987 में वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त होने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया है। पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे 8 वनग्राम को राज्य सरकार द्वारा राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में निर्णय लेने के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित Central Empowered Committee की अनुशंसा के उपरांत ही इस विषय पर कोई भी निर्णय संभव है।
3	यदि यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सभी ग्रामों के निवासियों के भूमि का राजस्व रसीद नहीं काटे जाने एवं राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये जाने के कारण इन्हें किसी भी तरह के सरकारी लाभ से वंचित रखा गया है ;	पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे विजयपुर, पांडरा, गुटवा, हेनार, लादू, कुजरूम, रमनदाग एवं मेराल के सभी ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा 5–5 एकड़ रैयती भूमि प्रदान करने की स्वैच्छिक पुनर्वास योजना का प्रावधान है। उक्त योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के ग्रामीण, पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर 5 एकड़ रैयती भूमि एवं 15 लाख रू0 राशि प्राप्त कर सकते है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित सभी ग्रामों के निवासियों के भूमि का रसीद काटने, राजस्व ग्राम घोषित करने एवं सरकारी लाभ मुहैया कराने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:–5/रा०भू० वि०स० लातेहार(तारां)–22/2026 478/रा0 दिनांक–26-02-2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके पत्रांक–3900/वि०स०, दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.2026
सरकार के उप सचिव।

E:\Rohit Sir-Seri-7\Letter.docx mukesh

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखंड द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– मद्य–01 का उत्तर प्रतिवेदन –

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला समेत पूरे राज्य में अवैध तरीके से बाजार–हाटों में, चौक–चौराहों के आस–पास, मुख्य मार्गों के किनारे छोटे धरों वाले होटलों में या झोपड़ीपुमा होटलों में जहरीली रसायनिक पदार्थों से मिलाकर देशी तरीकों से निर्मित नशीली पेय पदार्थ खुलेआम अवैध तरीके से बिक रहे हैं।</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
सिमडेगा जिला में कहीं भी अवैध मदिरा के विनिर्माण, संचयन, बिक्री एवं उपभोग की सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों यथा छापामारी, जब्ती, गिरफ्तारी जैसी निरोधात्मक कार्रवाई जिला उत्पाद प्रशासन द्वारा की जाती है। सिमडेगा जिला में कार्रवाई के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह जनवरी, 2026 तक दर्ज अभियोगों एवं जब्त प्रदर्श की विवरणी निम्नरूपेण है –
<table>
<tr><td>1</td><td>कुल दर्ज अभियोग</td><td>269</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अवैध धुलाई शराब (लीटर में)</td><td>1361.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अवैध जावा महुआ (कि0ग्रा0 में)</td><td>7905.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अवैध विदेशी शराब (लीटर में)</td><td>100.635</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अवैध देशी शराब (लीटर में)</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बीयर (लीटर में)</td><td>111.40</td></tr>
<tr><td>7</td><td>पचवई (लीटर में)</td><td>1324.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि नियमित एवं अत्यधिक नशा सेवन शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान और दुर्घटनाओं के कारण अत्यधिक मृत्यु दर के साथ कई सामाजिक बुराई और अपराध बढ़ने के कारण परिवार, समाज एवं राज्य पर दुष्परिणाम प्रभाव पड़ रहा है।</td><td>स्वीकारात्मक ।
राज्य सरकार अत्यधिक नशापान के कुप्रभाव से अवगत है एवं पूर्व से ही इस संबंध में आवश्यक वैधानिक प्रबंध किये गये हैं। झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 की धारा 54(b) के तहत पूर्व से नशापान किये हुए व्यक्ति को मदिरा की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों का बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 29(i) में पूर्व से ही अधिक मदिरापान किये हुए व्यक्ति को मदिरा बिक्री नहीं किये जाने का प्रावधान अंकित है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है कि क्या सरकार जहरीली रसायनिक पदार्थों को मिलाकर बने देशी तरीके से निर्मित अवैध नशीले पेय पदार्थों के अवैध निर्माण एवं बिक्री को सरकार बंद कराना चाहती है, हाँ तो कब तक एवं कैसे, नहीं तो क्यों?</td><td>उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मुख्य कार्य मदिरा व्यवसाय को विनियमित करना एवं मादक द्रव्यों के विनियमन से संबंधित प्रशासन का संचालन करना एवं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक "मद्य निषेध" की दिशा में यथासंभव कारगर प्रयास करना है।
मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को रोकने एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला उत्पाद प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण, पर्यवेक्षण, छापामारी एवं अन्य निरोधात्मक कार्य किया जाता है।
अवैध मदिरा के धौर्य व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य से उत्पाद मुख्यालय में EIB (Excise</td></tr>
</table>

		Intelligence Bureau) गठित है। इस इकाई को क्रियाशील किया गया है एवं अधीक्षक उत्पाद स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है। यह इकाई मुख्यतः आसूचना संग्रहण एवं जिला स्तर पर महत्वपूर्ण छापामारियों एवं पर्यवेक्षण इत्यादि कार्यों का समन्वय करती है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 3406 दिनांक 28.07.2023 द्वारा बड़े स्तर पर मदिरा के विनिर्माण, संचयन एवं चौर्य व्यापार (Smuggling) पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से इन अभियोगों को "संगठित अपराध" की श्रेणी में शामिल किया गया है एवं इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के शमन हेतु पुलिस विभाग के "आतंकवाद निरोधक दस्ता (Anti Terrorist Squad)" को भी प्राधिकृत किया गया है।

ज्ञापांक :– 01/विधायी–04–02/2026–494 / राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र0 4130/वि0स0 दिनांक 16.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.2.2026

सरकार के उप सचिव।

श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या स–29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान–सभा क्षेत्र के बानो प्रखण्ड में स्थित बानो CHC में एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रा–साउण्ड मशीन नहीं होने से 65 KM दूरी तय कर ग्रामीणों को सिमडेगा सदर अस्पताल जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानो में आई०पी०एच० मानक के तहत रेडियोलॉजिस्ट का पद सृजित नहीं होने के फलस्वरूप अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खण्ड–1 में सुविधा नहीं होने से गरीब जनता को आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, सिमडेगा में आई०पी०एच० मानक के तहत रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत है, जहाँ मरीजों को एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है।
3	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान–सभा क्षेत्र के बानो प्रखण्ड का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान–सभा क्षेत्र के बानो CHC में पर्याप्त चिकित्सक नहीं है;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानो में चिकित्सकों के स्वीकृत कुल 07 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्सक कार्यरत है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधान–सभा क्षेत्र में उपरोक्त विषयों पर सकारात्मक पहल कर बानो CHC में एक्स–रे मशीन, अल्ट्रा–साउण्ड मशीन एवं पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक एवं कैसे, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी०वि०स० (तारांकित)–10/2026 100(5) स्वा०, राँची, दिनांक 26-02-2026

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–4133/वि0स0, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/26

सरकार के अवर सचिव

श्री आलोक कुमार सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या स–32 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 07 शिकारीपाड़ा विधान–सभा क्षेत्र जिला दुमका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए परिसर में निवास हेतु आवास का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य कैन्द्र, शिकारीपाड़ा के परिसर में पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण चिकित्सक एवं अन्य कर्मी का आवास निर्माण नहीं हो पाया है।
3	क्या यह बात सही है कि परिसर में आवास नहीं रहने के कारण चिकित्सकों एवं कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारीपाड़ा परिसर में 08 चतुर्थवर्गीय कर्मी का आवास निर्माण किया गया है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए परिसर में आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सिविल सर्जन, दुमका द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारीपाड़ा के पूराने एवं जर्जर भवन जो वर्तमान में अनुपयोगी है, को ध्वस्त करते हुए चिकित्सक एवं कर्मियों के लिए आवास निर्माण हेतु सुझाव दिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–85(5) दिनांक–21.02.2026 द्वारा उक्त अनुपयोगी एवं जर्जर भवन को सक्षम प्राधिकार द्वारा जर्जर घोषित करते हुए उसके स्थान पर IPH मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्राक्कलन की मांग सिविल सर्जन, दुमका से की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी०वि०स० (तारांकित)–11/2026-98(5) स्वा०, राँची, दिनांक 26.02.2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–4126/वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.26

सरकार के अवर सचिव

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में चीक बड़ाईक एवं लोहरा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है;	स्वीकारात्मक। चीक बड़ाईक झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–10 तथा लोहरा, क्रमांक–21 पर सूचीबद्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि जिनके भूमि संबंधित खतियानों में सिर्फ चीक बड़ाईक या लोहार दर्ज है उन्हें भी रहन सहन, भाषा, संस्कृति एवं खान पान के आधार पर ग्राम सभा के अनुशंसा पर अनुसूचित जनजाति के उपजाति चीक बड़ाईक या लोहरा का प्रमाण पत्र दिया जाता है;	कार्मिक विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 13 के अनुसार भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइटस/भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्राय: किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति/संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया अपनाकर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रावधान संसूचित है।
3	क्या यह बात सही है कि भूमि संबंधित खतियानों में सिर्फ चीक या बड़ाईक या लोहार दर्ज, पर वे धर्म परिवर्तित कर हिंदू या ईसाई या अन्य धर्म को मानते है, वैसे परिवारों के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति के उपजाति चीक बड़ाईक या लोहरा का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है;	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–35/1/72-RU(SCTV), दिनांक–02.05.1975 की कंडिका–1(v) के अनुसार :– "If the person claims to be a Scheduled Tribe, he may profess any religion."
4	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे चीक या बड़ाईक या लोहार जो धर्म परिवर्तित कर हिंदू या ईसाई या अन्य धर्मो को मानते है, वैसे परिवार के सदस्यों को खण्ड (ii) के तहत जिनके खतियान में चीक बड़ाईक या लोहार दर्ज है, को अनुसूचित जनजाति के उपजाति चीक बड़ाईक या लोहरा का प्रमाण पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–09/झा0वि0स0–07–16/2026 का0– 1250/ रांची, दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–4003, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.26

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक-27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-स0-14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही अनुमंडल अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर भवन का उद्घाटन सितम्बर, 2019 में हुआ था, लेकिन आज तक इसे पूर्ण चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित नहीं किया गया है;	अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही, हजारीबाग में नियमित चिकित्सा पदाधिकारी उपाधीक्षक, सहित 04 चिकित्सक कार्यरत है क्रमशः 1. डॉ0 प्रकाश ज्ञानी 2. डॉ0 इन्द्रजित कुमार 3. निलम कंडुलिया (स्त्री रोग विशेषज्ञ) 4. डॉ0 मयंक प्रताप (हड्डी रोग विशेषज्ञ) एवं डॉ0 विक्रम प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है एवं एन0एच0एम0 से 1. डॉ0 पुजा कुमारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) 2. डॉ0 मणिकांत गुप्ता (शिशु रोग विशेषज्ञ) 3. डॉ0 रौशन कुमार (सर्जन) तथा DMFT से 02 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारामेडिकल कर्मी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि बरही अनुमंडल क्षेत्र से एन0एच0-31 एवं एन0एच0-33 में कई दुर्घटना जोन व स्पॉट रहने के कारण सड़क दुर्घटना होते रहता है एवं दुर्घटना की प्रबल सम्भावना बनी रहती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ट्रॉमा सेंटर में संसाधनों के अभाव में सड़क दुर्घटना में घायलों को सिर्फ प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है;	सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल मरीजों को बेहतर ईलाज हेतु सदर अस्पताल-सह-शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग रेफर किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड-एक में वर्णित अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 22/ विधानसभा (तारांकित)-04/2026 50(22) स्वा0 राँची, दिनांक-24-02-2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-3719/वि0स0 राँची, दिनांक-12.02.2026 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

(किरण सोरेंग)
सरकार के अवर सचिव।

मो० ताजुद्दीन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा–30 का प्रश्नोत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न मो० ताजुद्दीन, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राजमहल अंचल के हल्का कर्मचारियों के द्वारा पंजी II में छेड़छाड़ करने के कारण लगभग 10 वर्षों से सभी मौजों का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। • वैध रैयतों का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत हो रहा है। • जमीन का खरीद–बिक्री/म्यूटेशन के उपरांत शुद्धि पत्र निर्गत किया जा रहा है एवं सभी प्रकार का प्रमाण पत्र निर्गत की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि लगान रसीद निर्गत नहीं होने से आमजन को जमीन का सरकारी खजाना जमा करने एवं खरीद–बिक्री करने तथा प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमहल अंचल के मौजों का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे०अभि०, वि०स० (तारां०)–15/2026.....116...../नि०रा०   राँची, दिनांक–26-02-2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3922/वि०स०, दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/26

उप निदेशक।

Desktop/Press Sir/QA (Aman)

श्री आलोक कुमार सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–31 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि सरकार के अधीन संचालित संथाल परगना में एकमात्र फुलो झानो मेडिकल कॉलेज के फैकेल्टी में प्रोफेसरों एवं असिटेंट प्रोफेसरो के 67% पद खाली है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
फुलो–झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में वर्त्तमान में निम्न तालिका के अनुसार शिक्षक नियुक्त है:–
<table>
<tr><th>Post</th><th>Sactioned</th><th>Working</th><th>Vacant</th></tr>
<tr><td>Professor</td><td>22</td><td>08</td><td>14</td></tr>
<tr><td>Associate professor</td><td>27</td><td>14</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Assistant Professor</td><td>40</td><td>10</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Tutor/SR</td><td>53</td><td>42</td><td>11</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि फैकेल्टी में कमी के कारण मेडिकल छात्रों के पढाई एवं प्रशिक्षण पर गहरा असर पड़ रहा है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
फुलो झानो मेडिकल कॉलेज में कंडिका 1 में उल्लेखित शिक्षकों से पठन–पाठन तथा प्रशिक्षण कराया जा रहा है फलस्वरूप पढाई में कोई नकारात्मक असर नहीं पड रहा है</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण सृजित पदों के अनुरूप प्रोफेसरों एवं असिटेंट प्रोफेसरों के पद खाली रहने से गरीब मरीजों का सही तरीकों से ईलाज नहीं हो पा रहा है;</td><td>फुलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में वर्तमान में कुल Professor-8 Assistant Professor- 10 Associate Proffesor-14, SR/Tutor-42 JR- 21, चिकित्सा पदाधिकारी–13 तथा विशेषज्ञ चिकित्सक–7 कार्यरत है, जिससे सुचारू ढग से आम जनता को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेडिकल छात्रों के बेहतर पढाई व प्रशिक्षण एवं मरीजो का बेहतर ईलाज हेतु सृजित पदो के अनुरूप प्रोफेसरों एवं असिटेंट प्रोफेसरों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के कुल 180 पदों एवं सुपर स्पेशियलिटी विभाग अंतर्गत कुल 96 पदो पर निमित नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड लोक सेवा आयोग के लिए प्रेषित की गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–11/2026– 124(9) स्वा0 राँची, दिनांक– 25.02.2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–4124 वि0स0, दि०–16.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रकाश राम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-स0-35 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार विधान सभा के चन्दवा प्रखण्ड सी0एच0सी0 में 2024 से कार्यरत डॉ0 मनोज पर गलत व्यवहार एवं गलत इलाज के कारण 2006-2007 में मरीजों के परिजनों ने मुकदमा दायर किया था ;	अस्वीकारात्मक। डॉ0 मनोज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, चन्दवा के विरूद्ध किसी प्रकार का मुकदमा से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि 2024 में पुनः ज्वाइन करने के बाद इनका व्यवहार सह-कर्मियों, मरीजों एवं सिनियर डॉ0 के साथ भी सही नहीं कहा जा सकता ;	अस्वीकारात्मक। डॉ0 मनोज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी का व्यवहार कर्मियों/मरीजों के साथ गलत रहने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 मनोज चन्दवा बाजार में अपना एक क्लीनिक चलाते है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 मनोज अस्पताल परिसर के सरकारी क्वार्टर में रहते है पर नियमानुसार उसका मासिक भाड़ा नहीं देते जो आर्थिक भ्रष्टाचार का सबूत है ;	अस्वीकारात्मक। डॉ0 मनोज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी को सरकारी आवास आवंटित नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डॉ0 मनोज के कार्यकाल की जाँच कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-18/वि0स0-06-01/2026 45(18) स्वा0/राँची/दिनांकः-24/02/2026

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-4136/वि0स0 दिनांक-17.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा०–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार यादव माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के गैर मजरूआ खास एवं खास महल भूमि के लीज नवीकरण/स्थानांतरण संबंधी कार्य विभाग स्तर से नहीं किये जा रहे हैं ;	झारखण्ड राज्य में गैरमजरूआ खास भूमि का हस्तांतरण सरकारी भूमि हस्तांतरण नीति, 2023 के रूप में अधिसूचित अधिसूचना सं०–3842/रा०, दिनांक–24.11.2023 के आलोक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत खासमहाल भूमि के लीजधारियों के साथ खासमहाल मैन्यूअल के अनुरूप लीज़ बंदोबस्ती का प्रावधान किया गया है। विभागीय संकल्प सं०–3586, दिनांक–23.09.2019 के द्वारा खासमहाल भूमि को विभिन्न शर्तों के साथ फ्री–होल्ड करने का निर्णय लिया गया था। फ्री–होल्ड करने के लिए आवेदन समर्पित करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष थी, जो सम्प्रति समाप्त हो चुकी है। W.P.(C.) No.- 6184/2018 राज राजेश्वर प्रसाद सिंह–बनाम्–राज्य सरकार एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 19.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन क्रम में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं०–1132, दिनांक–26.08.2015 के आलोक में सरकारी भूमि (कैशर–हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के लिए अर्जित/हस्तांतरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि), जिसके संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो, के हस्तांतरण विलम्ब के निबंधन को निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–22-A के अधीन लोक नीति के विरूद्ध घोषित किया गया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०–585/नि०, दिनांक–10.10.2019 के द्वारा गलत/त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिबंधित सरकारी भूमि की सूची में दर्ज भूमि को प्रतिबंधित सूची से विमुक्त करने हेतु क्रियावली बनाई गई है, जिसके सक्षम प्राधिकार जिला के उपायुक्त हैं। इस विभागीय अधिसूचना के पश्चात् प्रतिबंधित भूमि की सूची से विमुक्त किए गए गैरमजरूआ खास भूमि का निबंधन एवं नामांतरण किया जा रहा है।

कृ०पृ०उ०

2	क्या यह बात सही है कि गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद–बिक्री संबंधी निबंधन (Registry) कार्य नहीं होने से तथा लीज नवीकरण/स्थानांतरण नहीं होने से आम जनता को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लाभहित में गैरमजरूआ खास भूमि की खरीद–बिक्री एवं खास महल जमीन का लीज नवीकरण/स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक एवं कैसे, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० वि०स० (तारां०)–25/2026.....475.....(5)/रा० राँची, दिनांक–26-02-2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–4132/वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.2026
सरकार के उप सचिव

श्री शत्रुघ्न महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–36 का प्रश्नोत्तर :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री शत्रुघ्न महतो, मा०स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों द्वारा परियोजना विस्तार हेतु स्थानीय निवासियों की भूमि अधिग्रहित करती हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में लोक जनहीत की योजनाओं हेतु ही भूमि का अर्जन वर्त्तमान प्रभावी भूमि अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं इसके अधीन प्राप्त शक्ति अन्तर्गत तैयार किये गए झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। भू–अर्जन से प्रभावित लाभुकों/परिवारों को मुआवजा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) का लाभ एवं अन्य अनुमान्य सुविधाएँ प्रदान की जाती है। RFCTLARR Act, 2013 की धारा–2 अन्तर्गत इस अधिनियम के लागू होने की दशा का उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम धारा–2(1) के अन्तर्गत परिभाषित लोक परियोजनार्थ सरकारी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की परियोजनाओं तथा धारा–2(2) के अधीन समुचित सरकार की पूर्व सहमति से पब्लिक–प्राईवेट भागीदारी लोकहित परियोजनाओं, लोकपरियोजनार्थ प्राईवेट कम्पनियों के लिए भूमि अर्जन के लिए प्रभावी है। लोकप्रयोजनार्थ प्राईवेट कम्पनियों के लिए भूमि के अर्जन हेतु कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति तथा पब्लिक–प्राईवेट परियोजनाओं हेतु कम से कम 70 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति एवं धारा–4 के अधीन सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है। लोकप्रयोजनार्थ परियोजनाओं हेतु प्राईवेट कम्पनी द्वारा समुचित सरकार की पूर्व सहमति के धारा–46 के अधीन भू–स्वामियों से प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमि का क्रय की स्थिति में अधिनियम की धारा–31 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का लाभ अनुमान्य है। झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 28 (6) में उल्लेखित है कि ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जनजातीय लोगों को बसाया जाएगा, वहाँ पर सामुदायिक/धार्मिक सभाओं के लिए भूमि बिना लागत के मुहैया करायी जाएगी। प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन वासस्थल में पुनर्स्थापित करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवंटित भूमि एवं

क्र०पृ०उ०

		आवास के स्वामित्व अधिकार संबंधी कागजात हस्तगत करा दिये जाएँगे। जिला प्रशासन के द्वारा नए पुनर्स्थापन वास स्थल को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएँगे, यदि वह पूर्व में अवस्थित राजस्व ग्राम का हिस्सा नहीं हो। विस्थापित परिवार की सुविधा हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रमाण पत्र प्रपत्र XII में परियोजना प्रमुख एवं सम्बंधित उपायुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। भविष्य में उक्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के निमित्त उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति संबंधित जिला के अभिलेखागार में रखी जाएगी।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा, नियोजन एवं पुनर्वास का प्रावधान है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि कंपनियों द्वारा पुनर्वासित तो किया जा रहा है पर प्रभावित लोगों को पुनर्वासित स्थल का मालिकाना हक नहीं दिया जाता है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनर्वासित लोगों को उनके भूखंड का मालिकाना हक दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0. (वि0स0) तारां0 प्रश्न–22/2026..175../नि0रा0 राँची, दिनांक–26-02-2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–4135/वि0स0, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती मंजू कुमारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न संख्या–स–33 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड देवरी एवं जमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का एक यूनिट स्वीकृत होने के वावजूद एक भी महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं रहने के कारण महिलाओं, गर्भवती माताओं एवं गंभीर रोगियों के इलाज में देरी एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ में एक–एक चिकित्सक कार्यरत है, साथ ही महिला चिकित्सक के कमी के कारण रेफरल अस्पताल, डुमरी, गिरिडीह से रोस्टर आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी में प्रति सप्ताह सोमवार एवं मंगलवार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ में प्रति सप्ताह शुक्रवार एवं शनिवार को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त संस्थानों में माह अक्टूबर, 2025 से जनवरी, 2026 तक कुल 1335 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराया गया तथा आनेवाले सभी मरीजों का समुचित जाँच, ईलाज एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिलाओं एवं गर्भवती माताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ एवं देवरी में महिला चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–05/2026 140(3) राँची, दिनांक: 26.2.2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–4129/वि०स० दिनांक 16.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.26

सरकार के अवर सचिव

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारंकित प्रश्न सं0– 34 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 स0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आयुष निदेशालय, झारखण्ड द्वारा 14 अप्रैल से 17 जून, 2023 के बीच मेसर्स Bitsphere Infosystem Pvt- Ltd- ,एवं Team Zoom Services Pvt- Ltd- को कई कार्यादेश दिये गए, जिनके अनुरूप उन्होंने कार्य समय पर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर दिया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कार्य पूरा होने के उपरांत इन्होंने संबंधित विपत्रों को सितम्बर, 2023 में आयुष निदेशालय में जमा कर दिया है और विपत्र भुगतान हेतु अनेकों पत्राचार किया है। इसके बावजूद उन विपत्रों का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;	संबंधित कम्पनी द्वारा समर्पित अभिश्रव आयुष निदेशालय को प्राप्त है। किये गये कार्यों की सम्पूर्ण जाँच एवं समर्पित अभिश्रवो पर जाँच प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि भुगतान हेतु विपत्रों की जाँच के लिए जाँच समितियाँ समय–समय पर गठित हुई, इसके बावजूद विपत्रों का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;	मेसर्स Bitsphere Infosystem Pvt- Ltd- ,राँची द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्ध कराए गए विपत्रों के भुगतान हेतु समर्पित अभिश्रवों की सम्पूर्ण जाँच हेतु विभागीय पत्रांक 165(20) दिनांक 29.07.2024 द्वारा श्री पवन कुमार, परियोजना निदेशक, झारखण्ड स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। श्री पवन कुमार का स्थानांतरण के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 284(20) दिनांक 23.12.2024 द्वारा श्री ललित मोहन शुक्ला, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। संयुक्त सचिव, श्री ललित मोहन शुक्ला द्वारा संबंधित बिन्दुओं पर जाँच हेतु अन्य पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष नामित करने हेतु अपर मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया। उनके द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में विभागीय आदेश सं0 49(20) दिनांक 27.02.2025 द्वारा श्री अबु इमरान, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति द्वारा दिनांक 09.05.2025 को जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत जाँच समिति के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर कतिपय बिन्दुओ पर पृच्छा करते हुए विभागीय पत्रांक 181(20) दिनांक 18.09.2025 द्वारा पूरक प्रतिवेदन की माँग की गई है। वर्त्तमान में जाँच समिति द्वारा पूरक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है तथा समिति के अध्यक्ष श्री अबु इमरान, तत्कालीन M.D JMHIDPCL का स्थानांतरण हो चुका है। नई कमिटी के गठन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् कमिटी गठित कर पूरक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अंतिम निर्णय लेने की कार्रवाई की जाएगी।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Bitsphere Infosystem Pvt- Ltd-, एवं Team Zoom Services Pvt- Ltd- द्वारा किये गये कार्यों के एवज में भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका "3" में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–20 / आयुष–वि0स0–04 / 2026 11(20) स्वा / राँची, दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–4127 / वि0स0, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

26.02.26

सरकार के उप सचिव।

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र में मा0 स0वि0स0 श्री मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्रनि - 08 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही अनुमंडल मुख्यालय में छात्र-छात्राओं को कौशल विकास से रोजगार प्राप्त करने का एक भी पोलिटेकनिक कॉलेज नहीं है;	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि बरही अनुमंडल मुख्यालय में पोलिटेकनिक कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को टेकनिकल डिग्री प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरही अनुमंडल में छात्र-छात्राओं के हित में पोलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु उपायुक्त, हजारीबाग से 20 एकड़ भूमि की अधियाचना की गयी है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु यथावश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची-834002.

ज्ञापांक- उ0त0शि0/विधान सभा-**06/2026-176** /राँची, दिनांक- **19/02/2026**

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक **3987** दिनांक **14.02.2026** के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.02.2026
(मंजू कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 08 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0		श्री दीपक बिरूआ, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत मौजा–जोन्हा के खाता संख्या–163, प्लॉट सं0–1004, किस्म जंगल–झाड़ी का गलत तरीके से निबंधन एवं नामांतरण किया गया है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।** उपायुक्त, राँची के पत्रांक–21 (i), दिनांक–17.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत भूमि (मौजा–जोन्हा, खाता सं0–163, प्लॉट सं0–1004, रकबा–5.80 ए0) राजस्व अभिलेखों में गैरमजरूआ (जंगल–झाड़ी) दर्ज है। जांच के क्रम में यह पाया गया कि विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर अपना स्वत्वाधिकार वर्ष 1884 के विलेख (डीड) के आधार पर प्रतिपादित किया जा रहा है, परंतु इस दावे का मुख्य आधार Encumbered Estate, Ranchi द्वारा कथित रूप से निर्गत हुकुमनामा (EE No.-3 of 1949-50) है। जिला अवर निबंधक, रांची के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त हुकुमनामा से संबंधित कोई प्रविष्टि सरकारी रिकॉर्ड (Index Register-I) में अप्राप्य (Not Found) है। अतः आधारभूत साक्ष्य के अभाव में वर्तमान जमाबंदी एवं निबंधन की विधिक वैधता संदेहास्पद है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक–516, दिनांक–26.02.2025 द्वारा सूचित समय–सीमा पूर्ण होने के पश्चात जमाबंदी रद्द करने के संबंध में धीमी प्रक्रिया की जा रही है,		प्रक्रिया पूर्णतः विधिसम्मत् है। उल्लेखनीय है कि अंचल प्रशासन द्वारा लगान रसीद निर्गत करने पर रोक (Block) लगाए जाने के विरूद्ध विपक्षी/प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में रिट याचिका W.P (C) No.-6754/2025 दायर की गयी है। चूंकि प्रतिवादी ने प्रशासनिक कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अतः विभाग द्वारा उक्त वाद में अपना प्रभावी प्रतिवाद (Counter-Affidavit) दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) के परामर्श पर स्वामित्व के अंतिम निर्धारण हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में मूल वाद (Original Title Suit) दायर करने की प्रक्रिया भी सामानान्तर रूप से गतिमान है।

कृ0पृ0उ0

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार (खण्ड)–(1) में वर्णित कार्य हेतु दोषियों पर कार्रवाई एवं खण्ड (2) में वर्णित तथ्य पर शीघ्र कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		सरकार राजकीय भूमि के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा चुकी है और विभाग द्वारा भी टाईटल सूट (Title Suit) हेतु तथ्य विवरण (SOF) तैयार कर लिया गया है। चूँकि यह मामला वर्तमान में पूर्णतः न्यायाधीन (Sub-Judice) है, अतः माननीय न्यायालय के आदेश/डिक्री के उपरांत, संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने तथा अवैध निबंधन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–04/वि0 स0 तारां0 प्र0 (राँची)–08/2026 474 /रा., राँची, दिनांक–26.02.2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 3608/वि.स., दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री चन्ददेव महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–01 का उत्तर सामग्री। 349 24/02/2026

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है, कि सिंदरी विधान सभा क्षेत्र के सिंदरी तथा बलियापुर प्रखंड में एक भी सरकारी आई0टी0आई0 महाविद्यालय नही है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है, कि सिंदरी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी आई0टी0आई0 महाविद्यालय के अभाव में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे है;</td><td>धनबाद जिलान्तर्गत 03 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है यथा
<table><tr><th>औ0प्र0सं0 का नाम</th><th>नामांकन हेतु सीट</th><th colspan="2">नामांकित</th></tr><tr><th></th><th></th><th>सत्र</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धनबाद</td><td>704</td><td>2025</td><td>682</td></tr><tr><td>2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाघमारा, धनबाद</td><td>168</td><td>2025</td><td>165</td></tr><tr><td>3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोविन्दपुर, धनबाद</td><td>192</td><td>2025</td><td>172</td></tr><tr><td>कुल</td><td>1064</td><td>–</td><td>1019</td></tr></table>
उपर्युक्त से स्पष्ट है कि धनबाद जिला में सत्र 2025 में नामांकन हेतु कुल सीट–1064 के विरूद्ध 1019 नामांकन हुआ है। फलस्वरूप धनबाद जिला में एक अन्य आई0टी0आई0 खोलना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सिंदरी एवं बलियापुर में सरकारी आई0टी0आई0 महाविद्यालय की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>सिंदरी विधान सभा क्षेत्र तथा बलियापुर प्रखण्ड में सरकारी आई0टी0 आई0 की स्थापना हेतु सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
औ0प्रशि0संस्थान, धनबाद/बाघमारा, धनबाद/गोविन्दपुर, धनबाद/महिला आई0टी0आई0, धनबाद (PPP अंतर्गत) में रोजगार हेतु प्रशिक्षण दी जा रही है।</td></tr>
</table>

24/02/2026
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–12/2026श्र0नि0–349 राँची, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3600, दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/2026
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सबिता महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न संख्या–स–39 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला जिले का ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र तिरुलडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहाँ विगत् कई वर्षों से कर्मियों के स्वीकृत 09 पदों के विरुद्ध आज तक मात्र 03 कर्मी ही कार्यरत एवं पदस्थापित है ;	अस्वीकारात्मक। सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिरुलडीह में चिकित्सकों एवं कर्मियों के कुल 10 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध नियमित अथवा आउटसोर्सिंग से चिकित्सक एवं कर्मी कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत कई वर्षों से रिक्त 06 पदों में से 02 मेडिकल ऑफिसर, 01 फार्मासिस्ट, 01 लिपिक, 01 लैब–टेकनीशियन और 01 आदेशपाल के पद है तथा वर्तमान में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी चिकित्सक नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिरुलडीह में 01 चिकित्सा पदाधिकारी, 01 फार्मासिस्ट, 01 लिपिक, 01 लैब–टेकनीशियन तथा 03 चतुर्थ वर्गीय कर्मी पदस्थापित है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साक एवं कर्मियों की कमी के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पडत्र रहा है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिरुलडीह में चिकित्सक एवं पारा कर्मियों के द्वारा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में तिरुलडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं महिला चिकित्सक के साथ–साथ कर्मियों के पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में उपलब्धता के आधार पर चिकित्सक कार्यरत है एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–07/2026 135(3) राँची, दिनांक: 25.2.2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–4245/वि०स० दिनांक 19.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.02.26.

सरकार के अवर सचिव

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या स–06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोविड–19 अवधि के दौरान धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में चिकित्सा पदाधिकारियों के आदेशानुसार संवेदकों के माध्यम से अति–महत्वपूर्ण सामग्री एवं सेवा के आपूर्ति पीड़ित मरीजों के सेवार्थ के लिए लिया गया था, जिसका भुगतान राशि अभी तक लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोविड–19 अवधि के दौरान किये गये कार्यों के विरूद्ध बकाया राशि के संबंध में अधियाचना की मांग सभी उपायुक्त एवं सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड से की गई थी, जिसके क्रम में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, उपायुक्त, राँची, गुमला, सिविल सर्जन, सिमडेगा, पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम से कुल 19,36,36,216/– रूपये बकाया राशि के संबंध में अधियाचना उपलब्ध कराया गया है। उक्त बकाया राशि के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने के निमित्त सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति के उपरांत राशि उपबंध कराते हुए उक्त राशि को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित महामारी के दौरान आपूर्ति कर रहे संवेदकों का बकाया राशि भुगतान नहीं होने के कारण उनका आर्थिक स्थिति अति–दयनीय हो गई है तथा जीवन यापन करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में कोविड–19 के दौरान सामग्री एवं सेवा के आपूर्ति कर रहे संवेदकों का बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी०वि०स० (तारांकित)–05/2026 102(5) स्वा०, राँची, दिनांक 26-02-2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–3593/वि०स०, दिनांक–10.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

श्री देवेन्द्र कुंवर, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या स–36 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, जरमुन्डी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सोनाराय ढाढ़ी प्रखंड से 30 कि०मी० की दूरी पर करोड़ो रूपये की लागत से बना विशाल स्वास्थ्य केन्द्र बेकार पड़ी हुई है;	अस्वीकारात्मक। सोनारायठाढी प्रखंड से लगभग 1 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 2,36,12,700/– रूपये की लागत पर की गई है, जो वर्तमान में संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत संरचना संचालन के अभाव में जर्जरावस्था की ओर जा रही है और विभाग उदासीन बनी हुई है;	अस्वीकारात्मक। सोनारायठाढी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी 02 चिकित्सक एवं 17 कर्मी कार्यरत है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनारायठाढी का भवन अच्छी स्थिति में है। उक्त केन्द्र को और बेहतर करने हेतु मुख्यमंत्री अस्पताल रख–रखाव योजना के अधीन 5,00,000/– रूपये राशि आवंटित की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन स्वास्थ्य लाभ के मद्देनजर सकारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी०वि०स० (तारांकित)–13/2026-101(5) स्वा०, राँची, दिनांक- 26-02-2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–4207/वि०स०, दिनांक–17.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/26

सरकार के अवर सचिव

360
26/02/2026

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर बेराजगार युवक/ युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) केन्द्रीय योजना है तथा इसका क्रियान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से युवक/युवतियों को सिलाई, ब्यूटीशियन, होटल मैनेजमेंट, नर्स आदि का प्रशिक्षण देकर रोजगार की दिशा में प्रयास किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।**
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जिले के नगर उँटारी अनुमंडल मुख्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक भी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है;	**स्वीकारात्मक।**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजना के तहत नगर उँटारी अनुमंडल मुख्यालय में प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर क्षेत्र के प्रशिक्षण प्राप्त बेराजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) केन्द्रीय योजना है तथा इसका क्रियान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजनान्तर्गत गढवा जिले के नगर ऊँटारी अनुमंडल में कोई प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत नही है। राज्य योजनान्तर्गत नगर ऊँटारी अनुमंडल मुख्यालय में कुल–02 केन्द्रों का मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना (SJKVY) एवं ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण कौशल विकास संस्थान (BIRSA) का संचालन किया जा रहा है।

26/02/2026
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–29/2026श्र0नि0–360 राँची, दिनांक–26/02/2026

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3901, दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/02/2026
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 14 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0		श्री दीपक बिरूआ, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत थाना संख्या–79 गैरमजरूआ जमीन खाता नं0–48, प्लॉट नं0–238, रकबा–2.14 (दो एकड़ चौदह डी0) जमीन मड़ईपूजा ग्राम देवता पूजा स्थल चिन्हित है,		**अस्वीकारात्मक।** सिल्ली अंचल में थाना संख्या–79, मौजा–निमुवा है, जिसमें खाता सं0–46 तक दर्ज है। खाता संख्या–48 मौजा–निमुवा में नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर श्री मंगल लोहरा पिता स्व0 विराज लोहरा द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का मकान का निर्माण कराया गया है,		उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन को कब्जा मुक्त करते हुए जमीन पूजा स्थल हेतु ग्रामीणों के सुपूर्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–04/वि0 स0 तारां0 प्र0 (राँची)–14/2026 473 /रा., राँची, दिनांक–26-02-2026

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 3991/वि.स., दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री सुरेश कुमार बैठा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-स0-40 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि काँके के C.I.P. में 156 सुरक्षाकर्मी पिछले 15-20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत थे ;	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (CIP), काँके, राँची केन्द्र सरकार के अधीन संचालित होने वाली संस्था है। केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (CIP), काँके, राँची से विभागीय पत्रांक-52(11) दिनांक-24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदन की माँग की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी कर्मियों को 1 फरवरी 2026 से एक साधारण नोटिस देकर नौकरी से हटा दिया गया ;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 156 सुरक्षा कर्मियों को रोजगार देना सुनिश्चित करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-11/रिनपास (वि0स0)-05-05/2026 54(11) स्वा0/राँची/दिनांक:- 26.2.2026

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-4307/वि0स0 दिनांक-20.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.26

सरकार के अवर सचिव।

श्री कुमार उज्जवल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री कुमार उज्जवल माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया प्रखंड के ईचका खुर्द में शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन परियोजना हेतु लगभग 55 किसानों की 35 एकड़ गैरमजरूआ खास (परती कदीम) भूमि का अधिग्रहण बिना मुआवजा किए कर लिया गया है;	उपायुक्त, चतरा के प्रतिवेदन के अनुसार– सिमरिया अंचल अंतर्गत शिवपुर–कठौतिया रेल लाईन परियोजना हेतु गैरमजरूआ खास किस्म–परती कदीम/जंगल/जंगल–झाड़ी (सरकारी भूमि) भूमि का हस्तांतरण संबंधी अधिसूचना/संकल्प/निदेश के आलोक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप रेलवे विभाग को हस्तांतरण की गई है। इस क्रम में कुल 55 अभिलेख की रैयती मान्यता संबंधी मामले में अंचल कार्यालय, सिमरिया द्वारा जांच किया गया, जिसमें 14 अभिलेख को सही पाया गया तथा शेष 41 अभिलेख अहर्त्ता पूर्ण नहीं करने के कारण अंचल कार्यालय, सिमरिया के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक–334/रा०, दिनांक–14.05.2009 के अनुरूप अहर्त्ता पाए गए 14 अभिलेख पर रैयती मान्यता संबंधी सत्यापन कार्य किया जा रहा है, जिसे मार्च के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि किसानों के विरोध के उपरांत सिमरिया अंचल द्वारा 22 नवंबर 2022 को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया, सभी किसानों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद 55 अभिलेख खोले गए ;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि इसी रेल परियोजना के अंतर्गत हांडू गांव में वददरत एवं भु–दान भूमि पर निवासरत लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि ईचाक खुर्द के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है ;	उक्त रेल परियोजना अन्तर्गत हांडू गाँव में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।
4	क्या यह बात सही है कि सिमरिया अंचल द्वारा पत्रांक–681, दिनांक–14.11.2023 के माध्यम से 55 अभिलेख रैयती मान्यता हेतु सिमरिया अनुमंडल को भेजे गए, जिसमें से मात्र 14 मामलों में उपायुक्त द्वारा पत्रांक–72, दिनांक–15.01.2025 को पूर्ववर्ती आदेश के आलोक में निस्तारण का निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को शीघ्र रैयती मान्यता प्रदान कर भूमि एवं मकान का मुआवजा देने हेतु समयबद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृ०पृ०उ०

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/स०भू० वि०स० चतरा (तारां०)–24/2026.....469.....(5)/रा० राँची, दिनांक 25.02.2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–4001/वि०स०, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.2026
सरकार के उप सचिव

श्री प्रदीप प्रसाद, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक-27.02.2026 को सदन में पूछ जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-स0-08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड कटकमदाग और दारू में स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है और यहां के लोगों को इलाज के लिए भी जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता है;	सिविल सर्जन, हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रखण्ड कटकमदाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलताना संचालित है एवं प्रखण्ड दारू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दारू संचालित है, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा चिकित्सा कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि कटकमदाग प्रखण्ड और दारू में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	कटकमदाग प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जिला परिषद्, हजारीबाग के द्वारा निर्माण कार्य जारी है। PM-ABHIM योजनान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दारू में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (BPHU) स्वीकृत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में कटकमदाग और दारू प्रखण्ड में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 05/ पी0 वि0स0(ता0)-03/2026-3416 स्वा0 राँची, दिनांक- 21-2-26

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-3596/वि0स0 राँची, दिनांक-10.02.2026 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.26
(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्री हेमलाल मूर्मु, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–27.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–01, क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे।

क्र0सं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मियों एवं सरकारी अधिवक्ताओं के कार्यनिष्पादन में कमी एवं अकुशलता आदि कारणों से न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुकदमों की संख्या में कमी करने और दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त कंडिका। विदित हो कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी गठित की गयी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के स्तर से नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए है, जिनके साथ नियमित बैठक की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर इन्वॉयर्ड कमिटि गठित की गयी है। साथ ही Alternate Dispute Redressal (ADR) के माध्यम से भी विवादों के निपटारे का प्रयास किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांकः– ए0/विधि/(वि0स0)–01/2026 371 /जे0 राँची, दिनांक–12/02/2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3603/वि0स0, दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

12/2/26

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम्-(बजट)-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 27.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री कुमार उज्जवल स0वि0स0 श्री प्रकाश राम स0वि0स0 श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड टंडवा के ग्राम मिश्रौल निवासी हीरामन साहू के पुत्र सोनू कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव 16 मार्च 2025 को कन्हरी पहाड़ के समीप बरामद हुआ, जिसे तत्पश्चात् कोर्रा थाना, हजारीबाग लाया गया। इस संबंध में 17 मार्च 2025 को कांड संख्या- 48/2025 कोर्रा थाना में दर्ज किया गया। घटना को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया किन्तु अब तक दोषियों की गिरफ्तारी एवं ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। मृतक का परिवार अत्यंत गरीब किसान परिवार से है, जो न्याय की प्रतीक्षा में दर-दर भटकने को विवश है। अतः सरकार से मांग है कि मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए जिससे मृतक के परिवार को न्याय मिल सके।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
02-	श्री भूषण तिर्की स0वि0स0	गुमला विधान सभा क्षेत्र के कटकाही गाँव में सिसई के पुसो थाना व रायडीह के सुरसाग थाना की तर्ज पर पुलिस पिकेट का निर्माण कराई जाए ताकि ग्रामीणों को छोटी-मोटी घटनाओं के लिए 10 कि0मी0 की दूरी तय कर चैनपुर अनुमण्डल ना जाना पड़े। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह है कि गुमला विधान सभा क्षेत्र के कटकाही गाँव में पुलिस पिकेट का निर्माण करना अति आवश्यक है, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
03-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	''धनबाद एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं अन्यान्य दृष्टिकोण से व्यापक है, परन्तु धनबाद जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग अधीनस्थ पथ जर्जर (Traffic Worthy Condition) स्थिति में है। ये पथ इतने महत्त्वपूर्ण है कि आए दिन हजारों गाड़ियों का परिचालन होता है। गाड़ियों के परिचालन से स्थानीय आमजन के साथ-साथ दूरदराज से आवागमन करने वाले गाड़ियों के आवागमन/सुगम यातायात में कठिनाईयाँ होती है। इस संदर्भ में पहला-पूजा टॉकिज से जोड़ाफाटक तक फ्लाईओवर का निर्माण और दूसरा तेतुलमारी-भूली-धनबाद (8 लेन पथ) एवं बरवड्डा-धनबाद (4 लेन) के मध्य अवस्थित जंक्शन पॉइंट मेमको मोड़ पर स्थलीय आवश्यकता अनुरूप वर्णित पथों के निर्माण में फ्लाईओवर, अन्डरपास तथा घनी आबादी के मध्य एलिवेटेड पथ के निर्माण हेतू विभाग द्वारा Feasibility Repot तैयार कराया गया था, परन्तु अबतक न तो भौतिक प्रतिवेदन के आधार पर प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार हो पाई और न ही तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति मिल पाई है, जिस कारण-	पथ निर्माण

क0पृ030

01.	02.	03.	04.
		विगत 4–5 वर्षों से पथ की स्थिति यथावत् बनी हुई है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि धनबाद जिला अन्तर्गत उक्त पथों के निर्माण निमित्त अविलम्ब Feasibility Repot के आधार पर प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करे, जिस हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04–	श्री हेमलाल मुर्मू, स०वि०स०	पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा एवं अमरापाड़ा के उच्च विद्यालयों में आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया था परन्तु दोनों विद्यालयों के छात्रावास भवन जर्जर हो जाने के कारण विद्यार्थियों द्वारा छात्रावास को खाली कर दिया गया है। वर्त्तमान में लिट्टीपाड़ा के छात्रावास का Tahal Consulting Engineers Limited. गुड़गाँव, हरियाण के द्वारा कब्जा कर उक्त छात्रावास में कब्जाधारी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है और खाली जमीन पर पानी का टैंक का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार अमरापाड़ा छात्रावास भी जर्जर होने के कारण खाली है। अतः लोकहित में उपर्युक्त खण्ड एक और दो में उल्लेखित छात्रावास में अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने और छात्रावासों का निर्माण कर एसे छात्रावासों को सुचारु रुप से चलाने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण
05–	श्रीमती ममता देवी स०वि०स० श्री अमित कुमार स०वि०स० श्री राजेश कच्छप स०वि०स०	रामगढ़ जिला में Classic Ingicon Pvt. Ltd. बहुत से पथों के निविदा उनके द्वारा प्राप्त की गई है। जिसमें बहुत से पथ अधूरे पड़े हुए है और पूर्व के कार्य समाप्त हुए बगैर ही इन्हें नये कार्य प्रदान की जा रही है जिसमें विभागीय मिलीभगत प्रतीत होता है।	पथ निर्माण

क्र०पृ०उ०–

01.	02.	03.	04.
		अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आग्रह करती हूँ कि Classic Ingicon Pvt. Ltd. द्वारा किये गए कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच करवाते हुए विभागीय स्तर पर दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने Classic Ingicon Pvt. Ltd. पर भी विभागीय कार्रवाई करने पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	

राँची,
दिनांक– 27 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र० –01/2026–...4491.../वि०स०,राँची,दिनांक–26.02.26

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2026
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–01/2026–4491.../वि०स०,राँची,दिनांक– 26.02.26

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2026
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

26/02/26

सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र

फरवरी, 2026 की कार्य सूची का पूरक।

(खण्ड–02)

दिनांक–27 फरवरी, 2026 ई0।

2

माँग संख्या:....42

आय–व्ययक का शीर्षक: **ग्रामीण विकास विभाग**

10–मंत्री, प्रभारी **ग्रामीण विकास विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि **ग्रामीण विकास विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 123,46,89,71,000/–(एक सौ तेईस अरब, छियालीस करोड़, नवासी लाख, इकहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

11–14– डॉ नीरा यादव, सर्वश्री जयराम कुमार महतो, निर्मल महतो एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० प्रस्ताव करेंगें कि इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की **ग्रामीण विकास विभाग** की नीति पर विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या:....55

आय–व्ययक का शीर्षक: **ग्रामीण कार्य विभाग**

15–मंत्री, प्रभारी **ग्रामीण कार्य विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि **ग्रामीण कार्य विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 50,81,74,45,000/–(पचास अरब, इक्यासी करोड़, चौहत्तर लाख, पैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या:....56

आय–व्ययक का शीर्षक: **पंचायती राज विभाग**

16–मंत्री, प्रभारी **पंचायती राज विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि **पंचायती राज विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 22,83,24,70,000 /–(बाईस अरब, तिरासी करोड, चौबीस लाख, सत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

रॉंची,
27 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

पाद टिप्पणी:–(1)कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में की जायेगी।
(2)अन्य माँगो से संबंधित कटौती प्रस्ताव बाद में भेजे जायेंगें।

ज्ञाप सं0–अ.य–व्ययक(बजट)–04/2026–1474/वि०स०, रॉंची, दिनांक– 26.02.26

प्रति:–सभी माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा सचिव/सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 26/02/26

(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–07

पंचम (बजट) सत्र
गुरूवार, दिनांक–26 फरवरी, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 04.19 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकाल:–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–23)

(क) उत्तरित कुल–04

क्रम सं०–09, अ०सू०–19 श्री सरयू राय, स०वि०स०,
(अधिकृत प्रश्नकर्ता, माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा, दिनांक–19.02.2026 से स्थगित।)

क्रम सं०–81, अ०सू०–32 श्री राजेश कच्छप, स०वि०स०
क्रम सं०–82, अ०सू०–15 श्री जयराम कुमार महतो, स०वि०स०,
क्रम सं०–83, अ०सू०–46 श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–19,

क्रम सं०–84 से क्रम सं०–102 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–40)

(क) उत्तरित कुल–04

क्रम सं०–285, श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०,
क्रम सं०–286, श्री सुदीप गुड़िया, स०वि०स०,
क्रम सं०–287, श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स०,
क्रम सं०–288, श्री आलोक कुमार सोरेन, स०वि०स०।

(ख) स्थगित मात्र–01

क्रम सं०–289, श्री सरयू राय, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–35, तारां० क्रम संख्या–290 से 324 तक।

2.प्रथम पाली की सूचना–

माननीय सदस्य, श्री अनन्त प्रताप देव द्वारा सूचना के माध्यम से सदन को अवगत कराया गया कि भवनाथपुर स्थित सेल के टाउनशिप में 763 क्वार्टरों का बिजली–पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, बच्चों के परीक्षा के समय में उनके भविष्य को देखते हुए इसपर संज्ञान लिया जाय। तदुपरांत आसन के अनुरोध पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसपर उपायुक्त, गढ़वा से वस्तुस्थिति से अवगत होकर समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

3.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री संजय कुमार सिंह यादव,
श्री रोशन लाल चौधरी,
श्री जयराम कुमार महतो,
श्री धनंजय सोरेन,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री जिगा सुसारन होरो,
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्रीमती लोईस मराण्डी,
श्री अमित कुमार,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्री सुरेश पासवान,
श्री जगत मांझी,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्री निर्मल महतो,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री समीर कुमार मोहंती,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री दशरथ गागराई,
डॉ० नीरा यादव,
श्री भूषण बड़ा।

4.ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् है–

i-माननीय सदस्या, श्री संजय कुमार सिंह यादव एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii-माननीय सदस्य, श्री उदय शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii-माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv-माननीय सदस्य, डॉ० नीरा यादव एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v-माननीय सदस्य, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vi-माननीय सदस्य, श्री चन्द्रदेव महतो एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

5.वित्तीय कार्य:–

आसन द्वारा पुकारे जाने पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के माननीय प्रभारी मंत्री, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), माँग संख्या–01 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय

होगा, उसकी पूर्ति के लिए 25,34,23,21,000/–(पच्चीस अरब, चौंतीस करोड़, तेईस लाख, इक्कीस हजार) रूपये से अनधिक की माँग प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा इस माँग से सम्बन्धित कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

6.वित्तीय कार्य(क्रमांक–5 से जारी):–

आसन से पुकारे जाने पर अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), माँग संख्या–01 के अनुदान पर वाद–विवाद पर माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा चर्चा प्रारम्भ किया गया जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया:–

श्री नथुरा प्रसाद महतो,
श्री मनोज कुमार यादव,

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री निरल पुरती ने आसन ग्रहण किया।)

श्री राजेश कच्छप,
श्री सुरेश पासवान,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री अरूप चटर्जी,
श्री निर्मल महतो,
श्री जयराम कुमार महतो एवं
श्री मंगल कालिंदी।

7.द्वितीय पाली की सूचना–

माननीय सदस्य, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी ने आसन को अवगत कराया कि कोलेबिरा में हाथियों द्वारा किसानों के फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है जिससे किसान परेशान हैं इसके रोकथाम के लिए यथाशीघ्र सरकार की ओर से कदम उठाया जाय,

माननीय सदस्य, श्री राजेश कच्छप ने आसन को अवगत कराया कि अजीत मुईया नामक मजदूर रोजगार के लिए मुम्बई गया हुआ था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी है, उसका शव छत्रपति शिवाजी हॉस्पीटल में रखा हुआ है जिसे लाने की व्यवस्था सरकार की ओर से यथाशीघ्र करायी जाय।

वाद–विवाद के उपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), माँग संख्या–01 पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–27.02.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–26 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।